"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 नवम्बर 2011—कार्तिक 27, शक 1933

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2011

क्रमांक ई-1-2/2011/एक/2.—श्रीमती निधि छिब्बर, भा.प्र.से. (सीजी:1994), सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जन शिकायत निवारण विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

रायपुर, दिनांक 10 मार्च 2011

क्रमांक 556/126/अव./2011/1-8/स्था.—श्री राम प्रसाद राठिया, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग को दिनांक 17-2-2011 से 24-2-2011 तक 08 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री राम प्रसाद राठिया को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री राम प्रसाद राठिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 10 मार्च 2011

क्रमांक 558/138/अव./2011/1-8/स्था.—श्री जी. आर. मालवीय, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग को दिनांक 14-2-2011 से 1-3-2011 तक 16 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जी. आर. मालवीय को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. आर. मालवीय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 10 मार्च 2011

क्रमांक 562/124/अव./2011/1-8/स्था.—श्री एम. एन. राजूरकर, स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 28-2-2011 से 11-3-2011 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एम. एन. राजूरकर को अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के स्टाफ आफिसर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो, उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. एन. राजूरकर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 16 मार्च 2011

क्रमांक 570/156/अव./2011/1-8/स्था.—श्री पी. डी. पुरबिया, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति तथा अनु. जाति विकास विभाग को दिनांक 25-11-2010 से 31-1-2011 तक 68 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पी. डी. पुरबिया को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति तथा अनु. जाति विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. डी. पुरबिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 18 मार्च 2011

क्रमांक 580/163/2011/1-8/स्था.—श्री पुनित कुमार जोशी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय को दिनांक 7-3-2011 से 11-3-2011 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पुनित कुमार जोशी को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री पुनित कुमार जोशी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 18 मार्च 2011

क्रमांक 582/155/अव./2011/1-8/स्था.—श्री बी. एल. सोनी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 7-2-2011 से 11-2-2011 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बी. एल. सोनी को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. एल. सोनी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. डी. चोपड़े, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2011

क्रमांक एफ 7-06/2011/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से निम्नलिखित नगरों के निवेश क्षेत्र में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 लागू करता है :—

निवेश क्षेत्रों का नाम :—

(1) नगर पंचायत गण्डई (2) छुरियाकला (3) नगर पंचायत बोडला (4) सहसपुर लोहारा (5) नगरी (6) सुकमा (7) गीदम (8) कोण्डागांव (9) बड़े बचेली-किरन्दुल (10) मालखरौद (11) डभरा (12) विश्रामपुर (13) सूरजपुर (14) लखनपुर (15) अंबागढ़ चौकी (16) बीजापुर (17) केशकाल (18) मगरलोड (19) भखारा (20) सक्ती (21) चन्द्रपुर (22) सारागांव (23) राहौद.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2011

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1.—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्या. के अंतर्नियम की कंडिका 77 (IV में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 31-10-11 द्वारा श्री व्ही. के. श्रीवास्तव, छ.ग. राज्य विद्यु कंपनी मर्या. को दिनांक 31-10-2011 को सेवानिवृत्त होने के कारण इस कंपनी के प्रबंध संचालक एवं संचालक के पद से पदमुक्त किया गया एवं श्री जनार्दन कर, को प्रबंध संचालक, के पद पर पदस्थ किया गया है.

2. श्री जनार्दन कर के कार्यभार ग्रहण करने तक छ.ग. राज्य उत्पादन कंपनी का अतिरिक्त प्रभार श्री जी. एस. कलसी, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी को सौंपा जाता है.

3. अतः श्री व्ही. के. श्रीवास्तव, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्या., श्री जी. एस. कलसी, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी को उत्पादन कंपनी का प्रभार सौंपकर पदमुक्त होंगे.

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2011

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1.—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित के अंतर्नियम की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन श्री जनार्दन कर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, NTPC Electricity Supply Company Limited (NESCL) की सेवायें प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए उन्हें आगामी आदेश तक छ.ग. राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्या. के संचालक के पद पर तत्काल प्रभाव से नियुक्त करता है.

2. श्री व्ही. के. श्रीवास्तव, छ.ग. राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्या. को दिनांक 31-10-2011 को सेवानिवृत्त होने के कारण अंतर्नियम की कंडिका 77 (IV) के अंतर्गत इस कंपनी के प्रबंध संचालक एवं संचालक के पद से पदमुक्त किया जाता है.

3. श्री जनार्दन कर उपरोक्त कंपनी के संचालक को अंतर्नियम की कंडिका 78 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन आगामी आदेश तक उपरोक्त कंपनी का प्रबंध संचालक नियुक्त करता है.

4. श्री जनार्दन कर की सेवा शर्तें पृथक से जारी की जावेंगी.

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2011

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1.—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी मर्या. के अंतर्नियम की कंडिका 77 (IV) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन श्री व्ही. के. श्रीवास्तव, छ.ग. राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी मर्या. को दिनांक 31-10-2011 को सेवानिवृत्त होने के कारण इस कंपनी के प्रबंध संचालक एवं संचालक के पद से पदमुक्त करता है.

2. श्री जी. एस. कलसी, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. को आगामी आदेश तक छ.ग. राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

3. श्री व्ही. के. श्रीवास्तव, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी मर्या., श्री जी. एस. कलसी, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी को ट्रेडिंग कंपनी का प्रभार सौंपकर पदमुक्त होंगे.

रायपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2011

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1.—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्या. के अंतर्नियम की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन श्री सी. पी. पाण्डे, कार्यपालक निदेशक छ.ग. राज्य उत्पादन कंपनी मर्यादित को आगामी आदेश तक छ.ग. राज्य उत्पादन कंपनी मर्या. के संचालक (परियोजना) के पद पर तत्काल प्रभाव से नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2011

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1.—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या. के अंतर्नियम की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन श्री एस. डी. दीवान, कार्यपालक निदेशक (O & M) छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित को आगामी आदेश तक छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या. के संचालक (संचालन) के पद पर तत्काल प्रभाव से नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2011

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1.—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी मर्या. के अंतर्नियम की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन श्री एस. पी. शर्मा, कार्यपालक निदेशक (वित्त) छ.ग. राज्य उत्पादन कंपनी को आगामी आदेश तक छ.ग. राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी मर्या. के संचालक के पद पर तत्काल प्रभाव से नियुक्त करता है.

2. श्री जी. एस. कलसी, छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. को अंतर्नियम की कंडिका 77 (IV) के अंतर्गत छ.ग. राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी मर्यादित के प्रबंध संचालक के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है.

3. श्री एस. पी. शर्मा, उपरोक्त कंपनी के संचालक को अंतर्नियम की कंडिका 78 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन आगामी आदेश तक छ.ग. राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी मर्यादित का प्रबंध संचालक नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2011

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1.—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्या. के अंतर्नियम की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन श्री पी. एल. विधानी, कार्यपालक निदेशक (सिविल प्रोजेक्ट) छ.ग. राज्य उत्पादन कंपनी को आगामी आदेश तक छ.ग. राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्या. के संचालक के पद पर तत्काल प्रभाव से नियुक्त करता है.

2. श्री जी. एस. कलसी, छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. को अंतर्नियम की कंडिका 77 (IV) के अंतर्गत छ.ग. राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित के प्रबंध संचालक के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है.

3. श्री पी. एल. विधानी उपरोक्त कंपनी के संचालक को अंतर्नियम की कंडिका 78 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन आगामी आदेश तक छ.ग. राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित का प्रबंध संचालक नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव.

पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2011

क्रमांक एफ-1-19/2009/35.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा (राजपत्रित) सेवा में भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—**
   (1) ये नियम छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2011 कहलाएंगे.

   (2) ये नियम राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
   (क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, शासन ;

   (ख) "आयोग" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग;

   (ग) "समिति" से अभिप्रेत है, अनुसूची-चार में यथाविनिर्दिष्ट विभागीय पदोन्नति समिति या चयन समिति;

   (घ) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, नियम 11 के अधीन भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा;

   (ङ) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;

   (च) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

   (छ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, शासन द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्र. एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसंबर 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

   (ज) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(झ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(ञ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(ट) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा (राजपत्रित) सेवा;

(ठ) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य.

3. **विस्तार तथा लागू होना.**— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन.**— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति समाविष्ट होंगे, अर्थात् :—

(1) वे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूलतः धारण कर रहे हों;

(दो) वे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किए गये हों; और

(तीन) वे व्यक्ति जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए हों.

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**— सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची-एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा:

परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या एवं वेतनमान में, समय-समय पर या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी.

6. **भर्ती का तरीका.**—

(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात् :—

(क) चयन द्वारा, सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) अनुसूची-चार के कॉलम (2) में दर्शाये गये अनुसार छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा (राजपत्रित) सेवा के सदस्यों जो मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में पद धारण करते हों, की पदोन्नति द्वारा ;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल हैसियत में धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए.

(2) उप-नियम (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किए गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-एक में यथाविनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची-दो में दर्शाए गए प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर शासन द्वारा आयोग के परामर्श से अवधारित की जाएगी.

(4) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शासन की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो सामान्य प्रशासन विभाग, आयोग के पूर्व परामर्श के पश्चात्, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप-नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जैसा कि वह शासन द्वारा इस निमित्त जारी किये गए आदेश द्वारा विहित करे.

(5) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के प्रावधान तथा इस अधिनियम के अधीन, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश (यथासंशोधित) भी लागू होंगे.

7. **सेवा में नियुक्ति.**— इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी तथा ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं.

8. **सीधी भर्ती के लिए पात्रता संबंधी शर्तें.**— चयन के लिए पात्र होने के लिये अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात् :—

(1) **आयु :—**

(क) चयन के प्रारंभ होने की तारीख की ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची-तीन के कॉलम (4) में विहित आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो.

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर क्रीमीलेयर) से संबंधित हों तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिये, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 (दस) वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(घ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों या रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जाएगी :—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 (अड़तीस) वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए.

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो और किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 (अड़तीस) वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए. यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी.

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 (सात) वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 (तीन) वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण :— शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की अथवा किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 (तीन) वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो.

(ङ) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 (तीन) वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण :— शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 (तीन) वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की

सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण छंटनी किया गया हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो :—

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन मुक्त कर दिये गये हों;

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें-

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो.

(3) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी हो जाने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो (जिनमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं);

(4) अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किये गये अधिकारी;

(5) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो;

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है;

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो.

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 2 (दो) वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(छ) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन छत्तीसगढ़ अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अनुसार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ज) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(झ) ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी हैं, के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 (अड़तीस) वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी.

(ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नगर सेना के नान कमीशन्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा में 8 (आठ) वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 (अड़तीस) वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

टीप - (1) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उपरोक्त नियम 8 (एक) (घ) के उप-खण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन, चयन/परीक्षा में प्रवेश दिया गया हो, वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात्, सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे.

(2) किसी भी अन्य मामले में आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जाएगी. विभागीय अभ्यर्थियों को चयन हेतु उपस्थित होने के लिये उनके नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी.

(ट) उपरोक्त किसी एक या एक से अधिक आधार पर छूट दिए जाने के उपरान्त, शासकीय सेवा में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 (पैंतालिस) वर्ष से अधिक नहीं होगी.

(ठ) उपरोक्त के अतिरिक्त, आयु-सीमा के संबंध में शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे.

(2) **शैक्षणिक अर्हता.—** अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए, जैसा कि अनुसूची-तीन में दर्शाई गई हैं.

(3) **फीस.—** अभ्यर्थी को आयोग द्वारा यथा विहित फीस का भुगतान करना होगा.

9. **निरर्हता.—** अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयत्न को, आयोग द्वारा चयन के लिये उसे निरर्हित माना जा सकेगा.

10. **अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा.—** चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया हो, परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.

11. **चयन/प्रतियोगिता परीक्षा/साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती.—**

(1) सेवा में भर्ती के लिये चयन, ऐसे अन्तरालों से किया जाएगा, जैसा कि शासन, आयोग के परामर्श से समय-समय पर, अवधारित करे.

(2) आयोग द्वारा परीक्षा ऐसे आदेशों के अनुसार ली जाएगी, जैसा कि शासन, आयोग के परामर्श से, समय-समय पर जारी करे.

(3) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंध तथा इस नियम के अधीन, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे.

सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध रिक्तियों के 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जाएंगें तथा ऐसा आरक्षण समस्तर और प्रभागवार (Horizontal & Compartmentwise) होगा. पद शासन द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार भरे जायेंगे.

(4) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिये पद आरक्षित रखे जायेंगे.

(5) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों की जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर क्रिमीलेयर) के सदस्य हैं, नियुक्ति पर उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो.

(6) उपर्युक्त के अतिरिक्त, रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थी जो महिला/विकलांग/भूतपूर्व सैनिक हैं तथा जिन्हें आरक्षण के फलस्वरूप चयनित किया गया है, की नियुक्ति हेतु उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो.

(7) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें प्रशासन की दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो, उप-नियम (5) के अधीन, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा.

(8) ऐसे मामलों में जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और लोक सेवा आयोग की राय में यह पाया जाए कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर क्रिमीलेयर) के अभ्यर्थियों की, अपेक्षित अनुभव के साथ आरक्षित रिक्तियों पर भर्ती के लिये पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो लोक सेवा आयोग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा.

12. **आयोग द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची.—**

(1) आयोग, उन अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में व्यवस्थित एक सूची जो ऐसे स्तर से अर्हित हों जैसा कि आयोग अवधारित करे तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हों, तैयार करेगा तथा शासन को अग्रेषित करेगा. यह सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जायेगी.

स्पष्टीकरण :— प्रत्येक प्रवर्ग के लिए रिक्त पद की 25% तक की संख्या के आंकलन के लिए, पूर्णांक में लाने हेतु, पाइन्ट (अंक) को अगले पूर्णांक तक बढ़ा दिया जाएगा.

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों.

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक कि शासन का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है.

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति :—**

(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति के लिए प्रारंभिक चयन करने हेतु एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची-चार में उल्लिखित सदस्य समाविष्ट होंगे:

परन्तु, इस उप-नियम के अधीन, समिति के गठन के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंध भी लागू होंगे.

(2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी, जो सामान्यतया एक वर्ष से अधिक की न हो.

(3) प्रत्येक पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार तथा मॉडल रोस्टर के अनुसार की जाएगी.

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया, उप-नियम (3) तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार रहेगी.

14. **पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें.—**

(1) उप-नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उस पद में जिनसे पदोन्नति की जानी है या शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर, (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में) उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची-चार के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो तथा जो उप-नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों.

स्पष्टीकरण .— पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति.— संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं.

(2) उप-नियम (2) के अधीन, प्रत्याशित रिक्तियों के अतिरिक्त, उपरोक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, उनके नाम सूची में सम्मिलित करने के प्रयोजन के लिये प्रत्येक प्रवर्ग हेतु अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नाम पर विचार किया जाएगा.

(3) शासन द्वारा पदोन्नति हेतु विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति दी जाएगी.

(4) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अन्य प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश पदोन्नति के लिये लागू होंगे.

15. **उपयुक्त अधिकारियों की सूची तैयार करना.—**

(1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो उपर्युक्त नियम 13 एवं 14 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो. यह सूची, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरे जाने के लिये पर्याप्त होगी. इसके अतिरिक्त, पूर्वोक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए आरक्षित सूची भी प्रस्तावित की जाएगी, जिसमें प्रवर्ग-वार न्यूनतम 01 तथा रिक्त पदों के 25% तक नाम होंगे.

(2) उपयुक्त अधिकारियों की सूची, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जाएगी.

(3) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जाएगा.

(4) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में, सेवा के किसी सदस्य का अवक्रमण किया जाना प्रस्तावित हो, तो समिति, प्रस्तावित अवक्रमण के लिये अपने कारणों को अभिलिखित करेगी.

16. **आयोग से परामर्श.—**

(1) नियम 15 के अनुसार तैयार की गई सूची, निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आयोग को भेजी जाएगी :—

(एक) सूची में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के अभिलेख.

(दो) अनुसूची-चार के कॉलम (2) में उल्लिखित ऐसे सभी व्यक्तियों के अभिलेख जिनका सूची में की गई अनुशंसा के अनुसार अवक्रमण किया जाना प्रस्तावित है.

(तीन) अनुसूची-चार के कॉलम (2) में यथा उल्लिखित सेवा के किसी व्यक्ति के प्रस्तावित अवक्रमण के लिये समिति के द्वारा अभिलिखित किये गये कारण.

(चार) समिति की सिफारिशों पर शासन के विचार.

(2) यदि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में आयोग के अध्यक्ष/आयोग के नामांकित सदस्य, अध्यक्ष के रूप में उपस्थित रहे हों तथा बैठक की कार्यवाही विवरण पर अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों के अनुशंसा संबंधी हस्ताक्षर हों तो उप-नियम (1) के अधीन की जाने वाली कार्यवाही अनिवार्य नहीं होगी.

17. **चयन सूची.—**

(1) आयोग, शासन द्वारा प्राप्त अन्य दस्तावेजों के साथ-साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर भी विचार करेगा और यदि इसमें कोई परिवर्तन आवश्यक न समझे तो उसे अनुमोदित करेगा.

(2) यदि आयोग, शासन से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में शासन को सूचित करेगा तथा शासन द्वारा उस पर यदि कोई मत प्रकट किया जाये तो उस पर ध्यान देते हुए, ऐसे संशोधनों सहित, यदि कोई हो जो उसकी राय में न्यायोचित तथा उपयुक्त हो, सूची को अंतिम रूप से अनुमोदित कर सकेगा.

(3) शासन द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची, अनुसूची-चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पद से अनुसूची-चार के कॉलम (4) में उल्लिखित पद पर, सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी.

(4) चयन सूची, सामान्यत: तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि नियम 15 के उप-नियम (3) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण न किया जाए किन्तु इसकी विधिमान्यता 31 दिसम्बर की अवधि के बाद नहीं बढ़ाई जायेगी:

परन्तु, चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्त्तव्य के निर्वहन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, शासन के कहने पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि आयोग उचित समझे, तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा.

18. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.—**

(1) चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्तियों में उसी क्रम का अनुपालन किया जायेगा जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में आये हों.

(2) सामान्यत: ऐसा व्यक्ति जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किए जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाए, जो शासन की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिए उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो.

19. **परिवीक्षा.—**सेवा में सीधी भर्ती अथवा पदोन्नत किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 2 (दो) वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा.

20. **निर्वचन.—**यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्‌भूत हो, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा.

21. **शिथिलीकरण.—**इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को जो उसे उचित और साम्यपूर्ण प्रतीत हो, सीमित या कम करती है :

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो.

22. **निरसन और व्यावृत्ति.—**

(1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं.

(2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए शासन द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार दिये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

अनुसूची-एक
(नियम-5 देखिये)

राजपत्रित प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के उपलब्ध पदों का विवरण, उनके वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की कुल संख्या			वर्गीकरण	वेतनमान		टिप्पणी
		स्थायी	अस्थायी	योग		वेतन	ग्रेड वेतन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें.	01	-	01	प्रथम श्रेणी	37400-67000	8700	-
2.	अपर संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें.	02	-	02	प्रथम श्रेणी	37400-67000	8700	-
3.	संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें.	05	-	05	प्रथम श्रेणी	15600-39100	7600	-
4.	उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें.	23	-	23	प्रथम श्रेणी	15600-39100	6600	-
5.	उप संचालक (वित्त)	01	-	01	प्रथम श्रेणी	15600-39100	6600	प्रतिनियुक्ति पर
6.	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.	592	03	595	द्वितीय श्रेणी	15600-39100	5400	-
7.	सहायक संचालक (सांख्यिकीय)	05	-	05	द्वितीय श्रेणी	9300-34800	4400	-

अनुसूची-दो
(नियम-6 देखिये)

स. क्र.	सेवा/पदों के नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियां
			सीधी भर्ती द्वारा	सेवा के मूल सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवा से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें	01	-	100%	-	-
2.	अपर संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें	02	-	100%	-	-
3.	संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें.	05	-	100%	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें	23	–	100%	–	–
5.	उप संचालक (वित्त)	01	–	–	100 प्रतिशत	छत्तीसगढ़ राज्य लेखा सेवा से प्रतिनियुक्ति द्वारा.
6.	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	595	92%	8%	–	–
7.	सहायक संचालक (सांख्यिकीय)	05	–	100%	–	–

अनुसूची-तीन
(नियम-8 देखिये)

सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए पात्रता

स. क्र.	विभाग का नाम	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	नियुक्ति प्राधिकारी	विहित शैक्षणिक अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विभाग.	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.	21 वर्ष	30 वर्ष	राज्य शासन/संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं.	भारत या विदेश के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक तथा भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 52) के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो.

टीप :— छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए, उच्चतर आयु सीमा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी.

अनुसूची-चार
(नियम-14 देखिये)

स. क्र.	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति हेतु न्यूनतम सेवा/अनुभव	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	अपर संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें.	3 वर्ष	संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें.	(1) मुख्य सचिव - अध्यक्ष (2) कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव -सदस्य पशुधन विकास विभाग. (3) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पशुधन - सदस्य विकास विभाग.	-
2.	संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें.	5 वर्ष	अपर संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें.	(1) लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या - अध्यक्ष अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित सदस्य. (2) सचिव, पशुधन विकास विभाग - सदस्य (3) संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें - सदस्य	-
3.	उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें.	3 वर्ष	संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें.	(1) लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या - अध्यक्ष अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित सदस्य. (2) सचिव, पशुधन विकास विभाग - सदस्य (3) संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें - सदस्य	-
4.	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.	12 वर्ष	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें.	(1) लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या - अध्यक्ष अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित सदस्य. (2) सचिव, पशुधन विकास विभाग - सदस्य (3) संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें - सदस्य	-
5.	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी.	पांच वर्ष के सेवा अनुभव के साथ विभागीय अभ्यर्थी की हैसियत से पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए.	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.	(1) लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या - अध्यक्ष अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित सदस्य. (2) सचिव, पशुधन विकास विभाग - सदस्य (3) संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें - सदस्य	-
6.	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी.	5 वर्ष	सहायक संचालक (सांख्यिकीय)	(1) लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या - अध्यक्ष अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित सदस्य. (2) सचिव, पशुधन विकास विभाग - सदस्य (3) संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें - सदस्य	-

Raipur, the 20th October 2011

No. F-1-19/2009/35.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby makes the following rules, relating to the recruitment of Chhattisgarh Veterinary (Gazetted) Service, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Chhattisgarh Veterinary (Gazetted) Recruitment Service Rules, 2011.

   (2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** - In these rules, unless the context otherwise requires, -

   (a) "Appointing Authority" in respect of the service means the Government;
   (b) "Commission" means the Chhattisgarh Public Service Commission;
   (c) "Committee" means the Departmental Promotion Committee or Selection Committee as specified in Schedule-IV;
   (d) "Examination" means the competitive examination held for recruitment conducted under rule 11;
   (e) "Government" means the Government of Chhattisgarh;
   (f) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh;
   (g) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5-XXV-4-84, dated the 26th December, 1984 as amended from time to time;
   (h) "Schedule" means the Schedule appended to these rules;
   (i) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;
   (j) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;
   (k) "Service" means the Chhattisgarh Veterinary (Gazetted) Service;
   (l) "State" means the State of Chhattisgarh.

3. **Scope and Application.-** Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Service.

4. **Constitution of the Service.** - The Service shall consist of the following persons, namely:-

(1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule-I;

(2) Persons, recruited to the Service before the commencement of these rules; and

(3) Persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, Scale of Pay etc.-** The classification of the Service, the number of posts included in the Service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time add to or reduce the number of posts and pay scale included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of Recruitment.-** (1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:-

(a) by direct recruitment, by selection;

(b) by promotion of member of the Chhattisgarh Veterinary (Gazetted) Service holding substantive or officiating posts as shown in column (2) of Schedule –IV;

(c) by transfer of the persons who hold in a substantive capacity such posts in such service, as may be specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of duty posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods for recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service, as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by such methods, shall be determined on each occasion by the Government in consultation with the Commission.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government, the exigencies of the Service so require, the General Administration Department may, after prior consultation with the Commission adopt such method of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued by the Government in this behalf, prescribe.

(5) At the time of recruitment to the service the provisions of the Chhattisgarh Public Service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Act, 1994 (No. 21 of 1994) and instruction (as amended) issued from time to time under this Act by the General Administration Department of Government shall apply.

7. **Appointment in service.-** All appointments to the service after commencement of these rules, shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment.** - In order to be eligible for selection a candidate must satisfy the following conditions, namely:-

(1) Age.- (a) He must have attained the age prescribed in column (3) of Schedule- III and not attained the age specified in column (4) of the said Schedule on the first day of January next following the date of commencement of the selections;

(b) The upper age limit shall also be relaxable up to maximum of 5 (five) years if a candidate belongs to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward (Non-crèamy-layer) Classes;

(c) For women candidates, the upper age limit shall be relaxable up to maximum of 10 (ten) years as per the Chhattisgarh Civil Services (Special Provisions for Appointment of Women) Rule, 1997;

(d) The upper age limit will also be relaxable in respect of candidates, who are or have been employees of the Chhattisgarh Government to the extent and subject to the conditions specified below :-

(i) A candidate, who is a permanent or temporary Government Servant should not be more that 38 (thirty eight) years of age;

(ii) A candidate holding a post temporarily and applying for any other post should not be more than 38 (thirty eight) years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementation Committee;

(iii) A candidate, who is a "retrenched Government Servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him upto a maximum limit of 7 (seven) years even if it represents more that one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 (three) years.

Explanation - The term "retrenched Government Servant" denotes a person who was in temporary Government Service of this State or of any of the constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than 3 (three) years prior to the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.

(e) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 (three) years;

Explanation-The term "Ex-service-men" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than 3 (three) years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service:-

(1) Ex-servicemen released under mustering out concessions;
(2) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on-
(a) Completion of short term engagement;
(b) Fulfilling the conditions of enrolment.
(3) Ex-servicemen (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service Regular Commissioned Officers);
(4) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;
(5) Ex-servicemen invalidated out of service;
(6) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;
(7) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot wounds etc.

(f) The upper age limit shall be relaxable upto maximum of 2 (two) years in respect of Green Card holder candidate under Family Welfare Programme;

(g) The upper age limit shall be relaxable upto 5 (five) years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the inter-caste Marriage Incentive Scheme as per Chhattisgarh Inter Caste Marriage Promotional Scheme under Untouchability Eradication Rule, 1984;

(h) The upper age limit shall also be relaxable upto 5 (five) years in respect of the Shahid Rajeev Pandey Award, Gundadhur Samman, Maharaja Praveerchand Bhanjdev Samman holder player candidates and National Youth Award holder young candidates;

(i) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 38 (thirty eight) years of age in respect of candidates who are the employees of Chhattisgarh State Corporations/Boards;

(j) The upper age limit shall be relaxed in the case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guard for the period of Home Guard service rendered by them subject to the limit of 8 (eight) years but in no case their age should exceed 38 (thirty eight) years;

Note- (1) The candidates, who are admitted to the selection/examination under the age concessions mentioned in sub-clause (i) and (ii) of rule 8 (1)(d) above shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after taking the examination/selection. They will, however continue to be eligible, if they are retrenched from the service or post after submitting the application.

(2) In no other case these age limits shall be relaxed. The Departmental candidates must obtain previous permission of their Appointing Authority to appear for the selection.

(k) After providing relaxation on the basis of any one or more of the above for entering in Government service the maximum age limit must not exceed 45 (forty five) years;

(l) Apart from above in respect of age limit, the direction issued by the General Administration Department of the Government from time to time shall also be applicable.

(2) Educational Qualification.- The candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule-III.

(3) **Fees.**– The candidate must pay the fees as prescribed by the Commission.

9. **Disqualification.**-Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission to disqualify him for selection.

10. **Commission's decision about the eligibility of the candidates shall be final.**- The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection shall be final and no candidate, to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission shall allowed to appear in the examination/interview.

11. **Direct recruitment by Selection /Competitive Examination/ Interview.**- (1) Selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Government may, in consultation with the Commission from time to time, determine.

(2) The examination shall be conducted by Commission in accordance with such orders as the Government may from time to time issue in consultation with the Commission.

(3) At the time of recruitment in the service the provision of the Chhattisgarh Public Service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Act, 1994 (No. 21 of 1994) and the directions issued under this rule by the General Administration Department of the Government from time to time shall be applicable.

30 percent of the available vacancies for direct recruitment shall be reserved for women candidates and such reservation will be horizontal and compartment wise. Posts will be filled according to roster determined by the Government.

(4) The posts shall be reserved for woman candidate in accordance with Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rule, 1997.

(5) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy- layer) shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12, irrespective of their relatives rank as compared with other candidates.

(6) In addition to above at the time of filling up vacancies, candidates who are women/handicapped/ex-servicemen and who are selected consequent to reservation, shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12, irrespective of their relatives rank with other candidates.

(7) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes declared by the Commission to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be under sub-rule (5).

(8) Where certain period of experience has been prescribed as an essential condition for filling the post by direct recruitment and in the opinion of the Public Service Commission it is found that the sufficient number of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-crèamy-layer) candidates having requisite experience are not likely to be available for recruitment on the reserved posts then the Public Service Commission may relax the condition of experience in respect of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes candidates.

12. **List of Candidates recommended by the Commission.** -(1) The Commission shall prepare and forward to the Government a list arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as the commission may determine and a list of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by that standard, are declared by the commission to be suitable for appointment to the service, with due regard to the maintenance of efficiency of the administration. The list shall also be published for general information.

Explanation -To make in round figure for accumulation of number up to 25% of vacant post for every category, the point shall be extented up to next round figure.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961. Candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidates name in the list confers no right to appointment unless the Government is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respect for appointment to the service.

13. Appointment by Promotion. - (1) There shall be constituted a committee consisting of the members mentioned in Schedule-IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that, under this sub-rule, for constitution of the committee, provisions of Section 8 of Chhattisgarh Public Service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Act, 1994 (No. 21 of 1994) shall also be applicable.

(2) The committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) Every promotion shall be made in accordance with the provision of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and as per model roster.

(4) The procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be made in accordance with sub-rule (3) and the instruction issued by the General Administration Department of the Government from time to time.

14. Conditions of eligibility for promotion. - (1) Subject to the provisions of sub-rule (2) the committee shall consider the cases of all persons who on 1st Day of January of that year had completed such number of years of service (whether officiating or substantive) in the posts, from which promotion is to be made as specified in column (2) of Schedule-IV or any other post or posts declared equivalent there to by the Government and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation- Method of calculation for eligibility for promotion-The calculation of the period of qualifying service on 1st January of the relevant year in which the Departmental Promotion Committee/Selection Committee is convened shall be counted from the calender year in which the public servant has joined the feeder cadre/part of service/pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/part of service/pay scale of the post.

(2) The name of public servants in requisite number for each cadre shall be considered for the purpose of inclusion of his name upto 25 percent of number of public servant included in the selection list or that of two public servant, whichever is more, to fill the unexpected vacancies during above said duration apart from expected vacancies under sub-rule (2).

(3) Promotion shall be made in accordance with the reservation roster prescribed by the Government.

(4) Other provisions of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rule, 2003 and the directions issued by the General Administration Department from time to time will be applicable for making promotion.

15. **Preparation of list of suitable officers.-** (1) The committee shall prepare a list of such persons as to satisfy the conditions prescribed in Rule 13 and 14 above and as are held by the committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list. Apart from this reserve list shall also be proposed to meet the unforeseen vacancies occurring during the course of the aforesaid periods in which there shall be category-wise maximum 01 and up to 25% name of vacant posts.

(2) The list of suitable officers will be prepared as per the provisions of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rule, 2003.

(3) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(4) If in the process of selection, review or revision it is proposed to supersede any member of the service, the committee shall record its reasons for the proposed supersession.

16. **Consultation with the Commission.-** (1) The list prepared in accordance with Rule 15 shall be sent to the Commission along with following documents:-

(i) the record of all the persons included in the list.
(ii) the record of all such persons mentioned in column (2) of Schedule-IV who are proposed for supersession as recommended in the list.
(iii) recorded reasons of the committee for the proposed supersession of any person of the service as mentioned in column (2) of Schedule-IV.
(iv) remarks of the Government on the recommendations of the committee.

(2) If the Chairman of the Commission/nominated member of the Commission as a Chairman remains present in the meeting of Departmental Promotion Committee and the proceedings of the meeting has the signatures of the Chairman including all members regarding recommendations, then action to be taken under sub-rule (1) shall not be mandatory.

17. **Select list.-** (1) The Commission shall consider the list prepared by the committee along with other documents provided by the Government and if no amendment is considered necessary then it shall be approved.

(2) If Commission considers it necessary to change anything in the list obtained from Government, then it shall inform the Government about the proposed changes and will pay attention to the views expressed by the Government, including amendments, if any, justifiable and appropriate in its opinion can finally approve the list.

(3)The list finally approved by the Government shall be the select list for the promotion of the members of service, from the posts shown in column (2) of Schedule-IV to the posts shown in column (4) of Schedule-IV.

(4) The select list shall ordinarily be in force until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (3) of Rule 15 but its validity shall not be extended beyond a total period of 31 December:

Provided that, in the event of grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Government and the Commission may, if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

18. **Appointment to the Service from the Select List.-** (1) Appointment of the officers included in the select list to post borne on the cadre of the service shall follow the order in which the names of such officers appear in the select list.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Commission before appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment, there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable of appointment to the service.

19. **Probation.-** Every person directly recruited or promoted shall be appointed on probation for a period of 2 (two) years.

20. **Interpretation.-** If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government, whose decision thereon shall be final.

21. **Relaxation.-** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person, to whom these rules apply in such manner, as may appear to it to be just and equitable:

Provided that, the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him then that provided in these rules.

22. **Repeal and saving.-** (1) All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed, in respect of matters covered by these rules.

(2) Nothing in these rules shall affect the reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions, of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. D. KUNJAM, Deputy Secretary.

SCHEDULE-I

(See rule 5)

Statement of the available posts of Gazetted Class-I and Class-II, its pay scale and number of the posts included in the service.

S. NO.	Name of the posts included in the service	Number of total posts			Classification	Scale of pay		Remarks
		Permanent	Temporary	Total		Pay	Grade Pay	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Director, Veterinary Services	01	_	01	Class – I	37400-67000	8700	-
2.	Additional Director, Veterinary Services	02	-	02	Class- I	37400-67000	8700	-
3.	Joint Director, Veterinary Services	05	-	05	Class – I	15600-39100	7600	-
4.	Deputy Director, Veterinary Services	23	-	23	Class – I	15600-39100	6600	
5.	Deputy Director, (Finance)	01	-	01	Class – I	15600-39100	6600	On Deputation
6.	Veterinary Assistant Surgeon	592	03	595	Class – II	15600-39100	5400	-
7.	Assistant Director, (Statistics)	05	-	05	Class – II	9300-34800	4400	-

SCHEDULE-II

(See rule 6)

S.No.	Name of the service/posts	Total number of duty posts	Percentage of the number of duty posts to be filled in			Remarks
			By direct recruitment	By promotion of substantive member of service	By transfer of person from other service	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Director, Veterinary Services	01	-	100%		-
2.	Additional Director, Veterinary Services	02	-	100%		-
3.	Joint Director, Veterinary Services	05	-	100%		-
4.	Deputy Director, Veterinary Services	23	-	100%		
5.	Deputy Director, (Finance)	01	-	-	100%	By deputation from Chhattisgarh State Account Service
6.	Veterinary Assistant Surgeon	595	92%	8%		-
7.	Assistant Director, (Statistics)	05	-	100%		-

SCHEDULE- III

(See rule 8)

Eligibility for appointment by direct recruitment

S.No.	Name of Department	Name of post	Minimum age limit	Maximum age limit	Appointing Authority	Prescribed educational qualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Veterinary and Animal Husbandry Department	Veterinary Assistant Surgeon	21 year	30 year	State Government/Director, Veterinary Services	Graduate in Veterinary Science from any recognized University or Institution of India or Foreign and Registered under Indian Veterinary Council Act, 1984 (No.52 of 1984)

Note - The upper age limit shall be relaxable in accordance of the directions issued by the General Administration Department of the Government from time to time for the local domiciles candidates of the Chhattisgarh.

SCHEDULE- IV

(See rule 14)

.No.	Name of the Service or post from which promotion is to be made	Minimum Service/ experience for promotion	Name of the service or post on which promotion is to be made	Name of member of the Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Additional Director, Veterinary Services	3 year	Director, Veterinary Services	(1) Chief Secretary – Chairman. (2) Agriculture Produce Commissioner and Principal Secretary, Animal Wealth Development Department- Member. (3) Secretary, Government of Chhattisgarh Animal Wealth Development Department - Member.	-
2.	Joint Director, Veterinary Services	5 year	Additional Director, Veterinary Services	(1) President of Public Service Commission or Member Nominated by the President - Chairman. (2) Secretary, Animal Wealth Development Department - Member. (3) Director, Veterinary Services- Member.	-
3.	Deputy Director, Veterinary Services	3 year	Joint Director, Veterinary Services	(1) President of Public Service Commission or Member Nominated by the President- Chairman. (2) Secretary, Animal Wealth Development Department - Member (3) Director, Veterinary Services - Member	-
4.	Veterinary Assistant Surgeon	12 year	Deputy Director, Veterinary Services	(1) President of Public Service Commission or Member Nominated by the President- Chairman. (2) Secretary, Animal Wealth Development Department - Member (3) Director, Veterinary Services - Member	-
5.	Assistant Veterinary Field Officer	Should have passed Graduation Examination in Veterinary Science from Departmental Candidate Capacity with 5 years Service Experience.	Veterinary Assistant Surgeon	(1) President of Public Service Commission or Member Nominated by the President- Chairman. (2) Secretary, Animal Wealth Development Department - Member (3) Director, Veterinary Services - Member	-
6.	Assistant Statistics Officer	5 years	Assistant Director, (Statistics)	(1) President of Public Service Commission or Member Nominated by the President - Chairman. (2) Secretary, Animal Wealth Development Department - Member (3) Director, Veterinary Services - Member.	-

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 नवम्बर 2011

क्रमांक F.1-58/2010/16.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ श्रम सेवा (अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी सेवा की भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**— (1) ये नियम छत्तीसगढ़ श्रम सेवा (अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी भर्ती नियम, 2011 कहलाएंगे।

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**— इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

   (क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, ऐसे प्राधिकारी जिसे शासन द्वारा सेवा/पद में भर्ती हेतु नियुक्ति की शक्तियां सौंपी गई हों, या इसके पश्चात सौंपी जाएं;

   (ख) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, इन नियमों के नियम 11 के अधीन सेवा में भर्ती के लिये आयोजित प्रतियोगी परीक्षा;

   (ग) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;

   (घ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

   (ड.) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर यथा संशोधित समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ 8—5/पच्चीस 4—84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984 द्वारा यथा निर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

   (च) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

   (छ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

   (ज) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

   (झ) "चयन समिति" से अभिप्रेत है, ऐसी चयन समिति जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इन नियमों के अधीन भर्ती या पदोन्नति हेतु गठित की जाए;

   (ञ) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ श्रम सेवा (अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी;

   (ट) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य;

3. **विस्तार तथा प्रयुक्ति.**— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में दिए गए उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.**— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:—
   (एक) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूलरूप से धारण कर रहे हों;

(दो) वे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; तथा
(तीन) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**– सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा इससे संलग्न वेतनमान अनुसूची–एक में दिये गये उपबन्धों के अनुसार होगी :

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित होने वाले पदों की संख्या में समय–समय पर या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगा।

6. **भर्ती का तरीका.**– (1) इन नियमों के प्रवृत्त होने के बाद, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात्:–

(क) प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा या मेरिट तथा साक्षात्कार के आधार पर चयन द्वारा;

(ख) अनुसूची–चार के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पद, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, मूल रूप से/स्थानापन्न रूप से धारण करते हैं।

(2) उप–नियम (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या अनुसूची–एक में यथा विनिर्दिष्ट पदों की संख्या के अनुसूची–दो में दर्शाए गए प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सेवा में किसी भी ऐसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, जिसे या जिन्हें भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरे जाने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके और प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शासन के परामर्श से अवधारित की जाएगी।

(4) उप–नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट सेवा में भर्ती के लिए उन तरीकों से भिन्न ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे।

(5) मेरिट के आधार पर सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिए शासन द्वारा मापदंड निर्धारित किये जा सकेंगें, तथापि, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस हेतु एक चयन समिति गठित किया जाना आवश्यक होगा, जो इन मापदंडों से अन्यथा अन्य युक्तियुक्त मापदंड शासन की सहमति से अपना सकेगी।

(6) भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम,1994 (क्र.21 सन् 1994) के प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

7. **सेवा में नियुक्ति.**– इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात, सेवा में समस्त नियुक्तियॉ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीको में से किसी एक के द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जायेगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें.**— परीक्षा/चयन में स्पर्धा हेतु पात्र होने के लिए, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात्:—

(एक) आयु—(क) उसने परीक्षा/चयन के प्रारंभ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिवस को अनुसूची—तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु सीमा 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हैं या कर्मचारी रह चुके हैं, निम्नलिखित सीमा तथा शर्तो के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिल की जायेगी.—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी/अस्थायी शासकीय सेवक हो,38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

(दो) ऐसे अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहे हों, तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, 38 वर्ष से अधिक आयु के नहीं होने चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरणः— शब्द "छटनी किये गये शासकीय सेवक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य की अथवा किन्हीं भी संगठक इकाईयों की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अथवा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

(ङ) ऐसे अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हों, उन्हें अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरणः— शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई हो या जो अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो:—

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवा निवृत्त रियायतों के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी बार नामांकित किया गया हो, और जिन्हें :-
(क) नियुक्ति की अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;
(ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवामुक्त कर दिया गया हो।

(तीन) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक;

(चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, (सैनिक तथा असैनिक) (जिनमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं) जो उनकी संविदा पूरी हो जाने पर सेवामुक्त किये गये हैं;

(पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर लगातार छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवामुक्त कर दिया गया हो;

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवामुक्त किया गया है, कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है;

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग किया गया हो।

(च) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो परिवार कल्याण (योजना) कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीन कार्ड धारक हैं, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम दो वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग विकास विभाग के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दंपत्ति के सवर्ण पति/पत्नि के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार धारक युवा अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु सीमा अधिकतम सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(झ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान कमिशन्ड अधिकारियों की दशा में, उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुये शिथिलनीय होगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये तथा आयु सीमा के संबंध में समान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

टिप्पणी:- (1) ऐसे अभ्यर्थी जो उर्पयुक्त खण्ड (घ) (एक) तथा (दो) में वर्णित रियायतों के अंतर्गत परीक्षा/चयन हेतु पात्र पाये गये हैं, नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे, यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात्, या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्याग पत्र दे देते है। तथापि, यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा या पद से छंटनी की गई हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।
(2) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमायें शिथिल नहीं की जाएंगी, विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन के लिए उपसंजात होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(ट) आयु सीमा के संबंध में, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(ठ) उपरोक्तानुसार, उल्लिखित वर्गों में से किसी भी एक या अधिक आधार पर छूट का लाभ दिये जाने के उपरान्त भी, शासकीय सेवा हेतु पात्र होने के लिए अधिकतम आयु 45 (पैंतालीस) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(दो) शैक्षणिक अर्हताएंः— अभ्यर्थी के पास अनुसूची—तीन में दर्शायी गई सेवा के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हतायें होनी चाहिए।

(तीन) फीसः— अभ्यर्थी को शासन द्वारा निर्धारित फीस का भुगतान करना होगा।

9 **निरहर्ता.—** अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसे परीक्षा/चयन में उपसंजाति के लिए निरर्हित ठहराया जा सकेगा।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा.—** परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिए अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा तथा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को, परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी ने प्रवेश प्रमाण पत्र जारी न किया हो।

11. **प्रतियोगिता परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भर्ती.—** (1) **प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती—** नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक चयन समिति गठित की जायेगी, जिसमें तीन सदस्य होंगे।

(एक) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा ऐसे अंतरालों से आयोजित की जायेगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय—समय पर शासन के परामर्श से अवधारित करें।

(दो) परीक्षा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय—समय पर शासन द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार आयोजित की जायेगी।

(2) **चयन द्वारा सीधी भर्ती—** (एक) सेवा में भर्ती के लिए चयन ऐसे अंतरालों से किया जायेगा, जैसे कि नियुक्ति प्राधिकारी समय—समय पर अवधारित करें ;

(दो) सेवा हेतु अभ्यर्थियों का चयन, चयन समिति द्वारा किया जाएगा।

(तीन) चयन समिति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय—समय पर गठित की जायेगी।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, पदों को छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार तथा शासन द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों के अनुसार आरक्षित किया जायेगा।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, की नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 11 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया हो, यथास्थिति उप—नियम (3) के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(6) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जायेंगे।

(7) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है, और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाये कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, वहां नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के बारे में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

(8) शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों के अनुसार आरक्षण लागू होगा।

12. **चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची.**– (1) चयन समिति उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों, जैसा कि चयन समिति अवधारित करें, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु फिर भी प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक ध्यान रखते हुये चयन समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किये गये हैं, तैयार करेगी और नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी। सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जायेगी।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुये, उपलब्ध रिक्तियों पर, अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए उसी क्रम से विचार किया जायेगा, जिसमें कि उनके नाम सूची में आये हों।

(3) सूची में अभ्यर्थी का नाम शामिल किये जाने से ही उसे तब तक नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नही हो जाता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के बाद, जैसी कि वह आवश्यक समझे यह समाधान नहीं हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**– (1) उक्त पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए अनुसूची–चार में वर्णित सदस्यों को मिलाकर एक समिति गठित की जायेगी:

परन्तु इस उप–नियम के अधीन समिति के गठन के प्रयोजन के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबन्धों का भी अनुसरण किया जाएगा।

(2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों से की जायेगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक की नहीं होगी।

(3) पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार होगी।

14. **पदोन्नति/स्थानांतरण के लिए पात्रता की शर्तें.**– (1) समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होनें उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को उन पदों पर या उसके समतुल्य घोषित किसी अन्य पद या पदों पर, उतने वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न रूप में या मूल रूप में) जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (4) में यथा विर्निदिष्ट हैं, से कम न हो, पूर्ण कर ली हो और जो उप–नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र में आते हों।

स्पष्टीकरणः– पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति–संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना उस कैलेण्डर वर्ष से की जायेगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबन्धों के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण दिया जायेगा।

(3) पदोन्नति शासन द्वारा विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार की जायेगी।

15. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची का तैयार किया जाना.**– (1) विभागीय पदोन्नति समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम 14 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझा गया हो, यह सूची चयन सूची के तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी।

(2) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबन्धों के अनुसार उपर्युक्त अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची तैयार की जाएगी।

(3) पदोन्नति के लिए व्यक्तियों की चयन सूची तैयार करने के लिए, मापदण्ड वरिष्ठता–सह–उपयुक्तता (सीनियॉरिटी सब्जेक्ट टू फिटनेस) होगी।

(4) चयन सूची की तैयारी के समय, सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम अनुसूची–चार के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के कम में रखे जायेंगे।

स्पष्टीकरणः– व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चातवर्ती चयन में विचार किया गया है, वरिष्ठता का कोई दावा नहीं होगा।

16. **चयन सूची.**– (1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गयी सूची, अनुसूची–चार के कॉलम (3) में उल्लेखित पदों से अनुसूची–चार के कॉलम (5) में अंतर्विष्ट पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी।

(2) पदोन्नति हेतु चयन सूची सामान्यतः इसके तैयार किए जाने की तारीख से कैलेण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर तक विधिमान्य होगी :

परंतु, चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निर्वहन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि वह उचित समझे, तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

17. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**– (1) चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्ति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबन्धों के अनुसार सूची में उनके नाम के आने के क्रम से की जाएगी।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक की चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख से बीच की कालावधि में उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट उत्पन्न न हो जाये, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा में नियुक्ति के लिए उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो।

18. **परीवीक्षा.**– सेवा में सीधी भर्ती किये गये या पदोन्नत किये गये प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्षों की कालावधि के लिए परीवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

19. **निर्वचन.**– यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

20. **शिथिलीकरण.**– इन नियमों में की, किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा, कि वह राज्यपाल की किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से जो उसे उचित तथा साम्यपूर्ण प्रतीत हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है :

परन्तु, कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो।

21. **व्यावृत्ति.**– इन नियमों में की, कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राज्य शासन द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी किये गये निर्देशों/आदेशों के अनुसार उपबंधित किये जाने के लिए अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तो को प्रभावित नहीं करेगी।

22. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**— इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी नियम, इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयो के संबंध में एतदद्वारा निरसित किये जाते हैं :

परन्तु, इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कोई भी कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधो के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप–सचिव.

अनुसूची एक
(नियम 5 देखिये)

श्रम सेवा (अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी

स.क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	ग्रेड वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01.	सहायक श्रम पदाधिकारी	18	तृतीय श्रेणी	9300—34800	4300/—
02.	अधीक्षक	1	तृतीय श्रेणी	9300—34800	4300/—
03.	सहायक अधीक्षक	1	तृतीय श्रेणी	9300—34800	4200/—
04.	स्टेनोग्राफर वर्ग दो	1	तृतीय श्रेणी	9300—34800	4300/—
05.	केमिस्ट	2	तृतीय श्रेणी	9300—34800	4200/—
06.	श्रम निरीक्षक	59	तृतीय श्रेणी	5200—20200	2800/—
07.	स्टेनोग्राफर वर्ग तीन	3	तृतीय श्रेणी	5200—20200	2800/—
08.	सांख्यिकी पर्यवेक्षक	1	तृतीय श्रेणी	5200—20200	2800/—
09.	सहायक वर्ग—1	4	तृतीय श्रेणी	5200—20200	2800/—
10.	श्रम उपनिरीक्षक	29	तृतीय श्रेणी	5200—20200	2400/—
11.	सहायक वर्ग—2	38	तृतीय श्रेणी	5200—20200	2400/—
12.	लैब असिस्टेंट	2	तृतीय श्रेणी	5200—20200	2400/—
13.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	12	तृतीय श्रेणी	5200—20200	2400/—
14.	सहायक वर्ग—3	63	तृतीय श्रेणी	5200—20200	1900/—
15.	स्टेनोटायपिस्ट	2	तृतीय श्रेणी	5200—20200	1900/—
16.	वाहन चालक	5	तृतीय श्रेणी	5200—20200	1900/—

अनुसूची दो
(नियम 6 देखिये)

श्रम सेवा (अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी

स.क्र.	विभाग का नाम	सेवा का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्यों पदों की संख्या का प्रतिशत		
				सीधी भर्ती द्वारा [नियम 6 (क) देखिये]	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा [नियम 6 (ख) देखिये]	अन्य सेवा से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा [नियम 6 (ग) देखिये]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	श्रम विभाग	छत्तीसगढ़ श्रम सेवा (अराजपत्रित)तृतीय श्रेणी				
01.		सहायक श्रम पदाधिकारी	18	33%	67%	
02.		अधीक्षक	1	–	100%	
03.		सहायक अधीक्षक	1	–	100%	
04.		स्टेनोग्राफर वर्ग दो	1	–	100%	
05.		केमिस्ट	2	50%	50%	
06.		श्रम निरीक्षक	59	–	100% (67% कार्यपालक पद से, 33% लिपिकीय पद से)	
07.		सहायक वर्ग–1	4	25% (सीमित विभागीय परीक्षा)	75%	
08.		श्रम उपनिरीक्षक	29	50%	50%	
09.		सांख्यिकी पर्यवेक्षक	1	–	100%	
10.		स्टेनोग्राफर वर्ग तीन	3	50%	50%	
11.		लैब असिस्टेंट	2	100%	–	
12.		सहायक वर्ग–2	38	–	100%	
13.		डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	12	100%	–	
14.		स्टेनोटायपिस्ट	2	100%	–	
15.		सहायक वर्ग–3	63	75%	25%	
16.		वाहन चालक	5	100%	–	

अनुसूची तीन
(नियम 8 देखिये)

श्रम सेवा (अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी

स.क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएँ	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01.	सहायक श्रम पदाधिकारी	21	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी निवासियों के लिए 35 वर्ष)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि।	
02.	केमिस्ट	21	तदैव	एम.एस.सी. एनालिटीकल में स्नातकोत्तर उपाधि।	
03.	श्रम उप निरीक्षक	21	तदैव	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि।	
04.	लैब असिस्टेंट	18	तदैव	(एक) 10+2 (जीव विज्ञान) एवं द्वितीय श्रेणी में विज्ञान स्नातक उत्तीर्ण। (दो) शासकीय संस्था से डी.एम.एल.टी. परीक्षा उत्तीर्ण।	
05.	डाटा एंट्री ऑपरेटर	18	तदैव	(एक) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्वविद्यालय से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण अथवा कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण एवं किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण। (दो) डाटा एंट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय प्रमाण–पत्र/डिप्लोमा तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति।	
06.	स्टेनोग्राफर वर्ग–3	18	तदैव	(एक) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 10+2 उत्तीर्ण या किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (दो) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था या शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परिषद् से– (क) हिन्दी शीघ्रलेखक के लिये क्रमशः 100 शब्द प्रति मिनट तथा 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण।	

				(ख) अंग्रेजी शीघ्रलेखक के लिये क्रमशः 100 शब्द प्रति मिनट तथा 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण। (ग) द्विभाषी शीघ्रलेखक के लिये ऊपर खण्ड (क) तथा (ख) में यथा विनिर्दिष्ट प्रमाण–पत्र। (तीन) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय प्रमाण–पत्र/ डिप्लोमा तथा डाटा एंट्री का 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिये।	
07.	स्टेनोटायपिस्ट	18	तदैव	(एक) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 10+2 उत्तीर्ण या किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (दो) हिन्दी स्टेनोटायपिस्ट के लिये क्रमशः 60 शब्द प्रति मिनट तथा 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण। (तीन) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय प्रमाण–पत्र/ डिप्लोमा तथा डाटा एंट्री का 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना चाहिये ।	
08.	सहायक ग्रेड–3	18	तदैव	(एक) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 10+2 उत्तीर्ण या किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (दो) किसी मान्यता मण्डल/संस्था से 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण। (तीन) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय प्रमाण–पत्र/ डिप्लोमा तथा डाटा एंट्री का 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना चाहिये ।	
09.	वाहन चालक	18	तदैव	8वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं एल.एम.व्ही. ड्राईविंग लायसेंस जो वैध हो।	

अनुसूची चार
(नियम 14 देखिये)

श्रम सेवा (अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी

स. क्र.	विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाएगी	पदों के लिये पात्रता हेतु न्यूनतम अनुभव की कालावधि	उस पद का नाम जिस पद पर पदोन्नति की जाएगी	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम (नियम 13 देखिए)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01.	श्रम विभाग	(एक) सहायक श्रम पदाधिकारी (दो) अधीक्षक	5 वर्ष	श्रम पदाधिकारी	छत्तीसगढ़ श्रम सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम, 2011 के अनुसार
02.		श्रम निरीक्षक	5 वर्ष	सहायक श्रम पदाधिकारी	(एक) श्रमायुक्त–अध्यक्ष (दो) संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा–सदस्य (तीन) उपश्रमायुक्त (स्थापना)–सदस्य (चार) एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी (प्रथम श्रेणी)–सदस्य (पांच) उपश्रमायुक्त (पंजीयक)–सदस्य
03.		सहायक अधीक्षक	5 वर्ष	अधीक्षक	तदैव
04.		स्टेनोग्राफर वर्ग–तीन	5 वर्ष	स्टेनोग्राफर वर्ग–दो	तदैव
05.		(एक) सहायक वर्ग–1 (दो) श्रम उपनिरीक्षक (तीन) सांख्यिकीय पर्यवेक्षक	5 वर्ष	श्रम निरीक्षक/सहायक अधीक्षक	तदैव
06.		(एक) सहायक वर्ग–2 (दो) डाटा एंट्री ऑपरेटर	5 वर्ष	(एक) श्रम उपनिरीक्षक (दो) सहायक वर्ग–1 (तीन) सांख्यिकी पर्यवेक्षक	तदैव
07.		स्टेनोटायपिस्ट	5 वर्ष	स्टेनोग्राफर वर्ग–तीन	तदैव
08.		लैब असिस्टेंट	8 वर्ष	केमिस्ट	तदैव
09.		सहायक वर्ग–3	5 वर्ष	सहायक वर्ग–2	तदैव

Raipur, the 9th November 2011

No. F 1-58/2010/16.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby makes the following rules relating to the recruitment in the Chhattisgarh Labour Service (Non-Gazetted) Class-III Services, namely : -

RULES

1. **Short title and commencement.–** (1) These rules may be called the Chhattisgarh Labour Service (Non-Gazetted) Class-III Recruitment Rules, 2011.

(2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-** In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Appointing Authority" in respect of the service, means such authority to whom powers of appointment has been or hereinafter may be assigned by the Government for recruitment to the service/post;

(b) "Examination" means competitive examination held for recruitment to the service under rule 11 of these rules;

(c) "Government" means the Government of Chhattisgarh;

(d) "Governor" means the Governor of Chhatisgarh;

(e) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government, vide Notification No. F-8-5 XXV-4-84, dated 26th December, 1984 as amended from time to time;

(f) "Schedule" means Schedule appended to these rules;

(g) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

(h) "Scheduled Tribes" means the Schedule Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;

(i) "Selection Committee" means Selection Committee, which shall be constituted by the Appointing Authority for recruitment or promotion under these rules;

(j) "Service" means the Chhattisgarh Labour Service (Non-Gazetted) Class-III;

(k) "State" means the State of Chhatisgarh.

3. **Scope and application.–** Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhatisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of the Service.–** The Service shall consist of the following persons, namely: -

(1) Persons, who at the time of commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule-I;

(2) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules; and

(3) Persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, scale of pay, etc.**–The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that, the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of recruitment.**– (1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely: -

(a) By direct recruitment on the basis of competitive examination or by selection on the basis of merit and interview;

(b) By promotion of the members of the service as specified in column (3) of Schedule-IV ;

(c) By Transfer of the persons who hold in a substantive/officiating capacity such posts in such services, as may be specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not at any time, exceed the percentage as shown in Schedule-II of the number of posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Appointing Authority in consultation with the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Appointing Authority, the exigencies of the service so requires, the Appointing Authority may, with the prior concurrence of the General Administration Department, adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) For the post to be filled up by direct recruitment on the merit basis, the criteria (norms) shall be prescribed by the Government, however it will be mandatory for Appointing Authority to constitute a Selection Committee for this purpose, which may adopt any other appropriate norms other than these norms with the consent of the Government.

(6) At the time of recruitment, the provisions of Chhattisgarh Public Service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Act, 1994 (No. 21 of 1994) and the direction issued by the General Administration Department from time to time shall also be applicable.

7. **Appointment to the service.**– All appointments to the service after commencement of these rules shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment.**– In order to be eligible to compete at the examination/selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely: -

(I) **Age-** (a) A candidate must have attained the age as specified in column (3) of Schedule-III and not have attained the age specified in column (4) of said Schedule on the first day of January next following the date of commencement of the examination/selection;

(b) The upper age limit shall be relaxable up to maximum of 5 years if a candidate belongs to Scheduled Castes or Scheduled Tribes;

(c) The upper age limit shall be relaxable up to 10 years to a women candidate, as per provision of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rule, 1997.

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates, who are or have been employees of the Government of Chhattisgarh to the extent and subject to the conditions specified below: -

(i) A candidate, who is permanent/temporary Government servant should not be more than 38 years of age;

(ii) A candidate holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementation Committees;

(iii) A candidate who is a "retrenched Government servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.

Explanation- The term “retrenched Government servant” denotes a persons who was in temporary Government Service of this State or of any of the constituent units for a continuous period of not less than 6 months and who was discharged because of reduction in establishment not more than 3 years period to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.

(e) A candidate who is an ex-servicemen shall be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.

Explanation- The term “Ex-servicemen” denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India, for a continuous period of not less than 6 months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendations of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than 3 years before the date of his registration at the Employment Exchange or of application made otherwise for employment in Government service: -

(i) Ex-servicemen released under mustering out concessions;

(ii) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on-
(a) completion of short term engagement;
(b) fulfilling the condition of enrolment.

(iii) Ex-personnel of Madras Civil Unit;

(iv) Employees (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service Regular Commissioned Officers);

(v) Officers discharged after working for more than 6 months continuously against leave vacancies;

(vi) Ex-servicemen invalidated out of service;

(vii) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(viii) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun shot-wounds, etc.

(f) The upper age limit shall also be relaxable up to 2 years in respect of Green Card holder candidates under Family Welfare (Planning) Programme.

(g) The upper age limit shall be relaxable up to 5 years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the Inter-caste Marriage Incentive Scheme of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Development Department.

(h) The general upper limit shall also be relaxable up to a maximum of 5 years in respect of the Shahid Rajiv Pandey Award, Gundadhur Award, Maharaja Praveerchand Bhanjdev Award holder candidates and National Youth Award holder Young Candidates.

(i) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 38 years of age in respect of the candidates, who are employees of the Chhattisgarh State Corporations/Boards.

(j) The upper age limit shall be relaxed in the case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of Home Guard Service rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.

Note- (1) Candidates who are admitted to the examination/selection under the age concessions mentioned in sub-clause (i) and (ii) of clause (d) above shall not be eligible for appointment, if after submitting the application, they resign from service either before or after examination/selection. They will, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application.

(2) In no other case these age limits be relaxed, departmental candidates must obtain previous permission of the Appointing Authority to appear for the examination/ selection.

(k) In respect of age limit, the direction issued by the General Administration Department from time to time, shall also be applicable.

(l) In any case the maximum age to get eligible for Government job shall not exceed 45 (forty five) years, irrespective of age relaxation under one or more than one category mentioned above.

(II) Educational Qualifications - The candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule-III.

(III) Fee – The candidate must pay the fees as prescribed by the Appointing Authority.

9. **Disqualification.-** Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointing Authority to disqualify him for appearing in the examination/selection.

10. **Appointing Authority's decision about the eligibility of candidates shall be final.-** The decision of the Appointing Authority as to eligibility or otherwise of a candidate for appearing in examination/selection shall be final and no candidate, to whom a certificate of

admission has not been issued by the Appointing Authority shall be allowed to appear in the examination/interview.

11. **Direct recruitment by competitive examination/selection.–** (1) Direct recruitment by competitive examination- Appointing Authority shall constitute a Selection Committee consisting of three members.

(i) The competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority may, in consultation with the Government, from time to time, determine.

(ii) The examination shall be held by the Appointing Authority in accordance with the orders issued by the Government from time to time.

(2) Direct recruitment by Selection- (i) The selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority may, from time to time, determine.

(ii) The selection of candidates for the service shall be made by the Selection Committee.

(iii) The Selection Committee shall be constituted by the Appointing Authority from time to time.

(3) There shall be reserved posts for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, at the stage of direct recruitment, in accordance with the provisions contained in the Chhattisgarh Public Service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Act, 1994 (No.21 of 1994) and orders issued by the Government from time to time.

(4) In filling up the vacancies so reserved, the candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 11, irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes declared by the Appointing Authority to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes as the case may be, under sub-rule (3).

(6) At the stage of direct recruitment, 30% post shall be reserved for the women candidates in accordance with the provision of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rule, 1997.

(7) In such cases, where certain period of the experience has been prescribed as an essential condition for the posts to be filled by direct recruitment and in the opinion of the Appointing Authority, it is found that the sufficient number of the candidate belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, with the requisite experience, is not likely to be available for recruitment on the reserved posts, then the Appointing Authority may relax the condition of experience to the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(8) Reservation for the physically handicapped candidates shall be applicable as per the directions issued by the General Administration Department from time to time.

12. **List of the candidates recommended by the Selection Committee.-** (1) The Selection Committee shall prepare and forward a list to the Appointing Authority arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards, as may be determined by the

Selection Committee and a list of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by the such standard, but are declared by the Selection Committee to be suitable for appointment to the service, with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Chhatisgarh Civil Services (General Condition of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

13. **Appointment by promotion.–** (1) There shall be constituted a Committee, consisting of the members specified in Schedule-IV for making a preliminary selection for promotion of eligible mentioned candidates:

Provided that, for this purpose of constitution of the Committee under this sub-rule, the provisions of Section 8 of the Chhattisgarh Public Service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Act, 1994 (No.21 of 1994), shall also be adhered to.

(2) The Committee shall meet at such intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) Promotion shall be made in accordance with the provision of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(4) Procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be made in accordance with the instructions issued by the Government of Chhattisgarh, General Administration Department from time to time.

14. **Conditions for eligibility for promotion/transfer.–** (1) The Committee shall consider the cases of all persons, who on the first day of January of that year had completed such number of years of the service (whether officiating or substantive) in the posts, from which promotion is to be made or any other post or posts declared equivalent thereto by the Government, as specified in column (4) of Schedule-IV and are within the zone of consideration under provisions of sub-rule (2).

Explanation-(1) Manner of computation for eligibility for promotion- The calculation of period of qualifying service on 1st January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee/Screening Committee is convened shall be counted from the calendar year in which the public servant has joined the feeder cadre/part of the service/pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/part of the service/pay scale of post.

(2) The reservation in promotion shall be made in accordance with the provision of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rule, 2003.

(3) Promotion shall be made as per reservation roster prescribed by the Government.

15. **Preparation of list of suitable candidates.–** (1) The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of such persons who satisfy the conditions prescribed in Rule 14 above and as are held by the Committee to be suitable for promotion to the service, the list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirements and the promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list.

(2) The list of officers/employees above shall be prepared as per provision of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rule, 2003.

(3) For preparing the select list of persons for promotion, the criteria shall be seniority subject to fitness.

(4) The names of employees included in the list shall be arranged in order of seniority in the service or posts as specified in column (3) of Schedule-IV at the time of preparation of select list as per Chhattisgarh Civil Service (General Conditions of Service) Rule, 1961.

Explanation – The person, whose name is included in a select list but who is not promoted during the validity of the list shall have no claim to seniority over those persons considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

16. **Select list.-** (1)The list as finally approved by the Appointing Authority shall be the Select List for promotion of the members of the service from the posts mentioned in column (3) of Schedule-IV to the posts mentioned in column (5) of the Schedule-IV.

(2) The Select list for promotion shall be ordinarily valid for 31st December of the calendar year from the date of its preparation:

Provided that, in the event of a grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list, a special r view of the select list, may be made at the instance of the Appointing Authority, and he may, if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

17. **Appointment to the service from the select list.-** (1) Appointment of the employees included in the select list shall be made to the posts of service cadre in the order in which their name appear in the list in accordance with the provision of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the committee before appointment of a person, whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of proposed appointment, there occur any deterioration in his work which, in the opinion of the Appointing Authority is such as to render him unsuitable of appointment to the service.

18. **Probation.-** Every person recruited directly or by promotion to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

19. **Interpretation.-** If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government, whose decision thereon shall be final.

20. **Relaxation.-** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner, as may appear to it to be just and equitable:

Provided that, the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

21. **Saving.-** Nothing contained in these rules shall affect reservation, relaxation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the instructions/orders issued by the State Government from time to time in this regard.

22. **Repeal and saving.-** All rules corresponding to these rules and in force immediately before their commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that, any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. D. KUNJAM, Deputy Secretary.

SCHEDULE I
(See Rule 5)

Labour Service (Non-Gazetted) Class-III

Serial Number	Name of Posts included in the Service	Number of Posts	Classification	Pay Scale	Grade pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Assistant Labour Officer	18	Class-III	9300-34800	4300/-
2.	Superintendent	1	Class-III	9300-34800	4300/-
3.	Assistant Superintendent	1	Class-III	9300-34800	4200/-
4.	Stenographer Grade-II	1	Class-III	9300-34800	4300/-
5.	Chemist	2	Class-III	9300-34800	4200/-
6.	Labour Inspector	59	Class-III	5200-20200	2800/-
7.	Stenographer Grade-III	3	Class-III	5200-20200	2800/-
8.	Statistical Supervisor	1	Class-III	5200-20200	2800/-
9.	Assistant Grade –I	4	Class-III	5200-20200	2800/-
10.	Labour Sub-Inspector	29	Class-III	5200-20200	2400/-
11.	Assistant Grade-II	38	Class-III	5200-20200	2400/-
12.	Lab Assistant	2	Class-III	5200-20200	2400/-
13.	Data Entry Operator	12	Class-III	5200-20200	2400/-
14.	Assistant Grade-III	63	Class-III	5200-20200	1900/-
15	Steno-typist	2	Class-III	5200-20200	1900/-
16.	Driver	5	Class-III	5200-20200	1900/-

SCHEDULE-II
(See Rule 6)

Labour Service (Non-Gazetted) Class-III

S. No.	Name of Department	Name of Service	Total Number of Post	Percentage of number of duty Posts to be filled in.		
				By direct recruitment (See Rule 6 (a))	By promotion of members of service (See Rule 6 (b))	By transfer of person from other service (See Rule 6 (c))
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Labour Department	Chhattisgarh Labour Service (Non-Gazetted) Class-III				
1.		Assistant Labour Officer	18	33%	67%	
2.		Superintendent	1	-	100%	
3.		Assistant Superintendent	1	-	100%	
4.		Stenographer Grade - II	1	-	100%	
5.		Chemist	2	50%	50%	
6.		Labour Inspector	59	-	100% (67% from executive posts, 33% from clerical posts.)	
7.		Assistant Grade-I	4	25% (Limited Depart-mental Exa-mination)	75%	
8.		Labour Sub- Inspector	29	50%	50%	
9.		Statistical Supervisor	1	-	100%	
10.		Stenographer Grade - III	3	50%	50%	
11.		Lab Assistant	2	100%	-	
12.		Assistant Grade-II	38	-	100%	
13.		Data Entry Operator	12	100%	-	
14.		Steno-typist	2	100%	-	
15.		Assistant Grade-III	63	75%	25%	
16.		Driver	5	100%	-	

SCHEDULE-III
(See Rule 8)

Labour Service (Non-Gazetted) Class-III

S. No.	Name of Post	Minimum age limit	Maximum age limit	Prescribe Educational Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Assistant Labour Officer	21	30 (35 years for domicile resident of Chhattisgarh State.)	Graduate degree from any recognized University.	
2.	Chemist	21	----do----	Post Graduate degree in M.Sc. Analytical.	
3.	Labour Sub-Inspector	21	----do----	Graduate degree from any recognized University.	
4.	Lab Assistant	18	----do----	(i) Should have passed 10+2 (Biology) and Graduate degree in second class in Science. (ii) Should have passed D.M.L.T. Examination from Government Organization.	
5.	Data Entry Operator	18	----do----	(i) Should have passed 10+2 Examination from any recognized Board/University Or Should have passed Class 10th Board examination and passed three year diploma in any subject. (ii) Should have certificate/Diploma of one year in Data Entry Operator/ Programming and speed of 8000 key depression in Hindi and English per hour from any recognized institution.	
6.	Stenographer Grade-III	18	----do----	(i) Should have passed Higher Secondary Examination or 10+2 from recognized Board/University Or Passed 1st year examination of Graduation Course from any recognized Board/University. (ii) From any recognized Board/Institution or Shorthand and Typing Council- (a) Passed Hindi Shorthand and Typing Examination with speed of 100 words per minute and 25 words per minute respectively	

				for Hindi Stenographer. (b) Passed English Shorthand and Typing Examination with speed of 100 words per minute and 30 words per minute respectively for English Stenographer. (c) For bilingual Stenographer, must possess certificates as mentioned in clause (a) and (b) above. (iii) Certificate/Diploma of one year in Data Entry Operator/Programming and speed of 10,000 key depression at Data Entry per hour from any recognized institution.	
7.	Steno-typist	18	----do----	(i) Should have passed Higher Secondary Examination or 10+2 from recognized Board/University Or Passed 1st year examination of Graduation Course from any recognized Board/University. (ii)Passed Hindi Shorthand and Typing Examination with speed of 60 words per minute and 25 words per minute respectively for Hindi Steno-Typist. (iii) Certificate/Diploma of one year in Data Entry Operator/ Programming and speed of 5000 key depression in Data Entry per hour from any recognized institution..	
8.	Assistant Grade-III	18	----do----	(i) Should have passed Higher Secondary Examination or 10+2 from recognized Board/University or Passed 1st year examination of Graduation Course from any recognized Board/University. (ii) Passed Hindi Typing with speed of 25 words per minute from any recognized Board/Institution. (iii) Certificate/diploma of one year in Data Entry Operator/ Programming and speed of 5,000 key depression at data entry per hour from any recognized institution..	
9.	Driver	18	----do----	Should have passed 8th Class and a valid L.M.V. Driving license.	

SCHEDULE-IV
(See Rule 14)

Labour Service (Non-Gazetted) Class-III

S.No.	Name of Department	Name of Post from which promotion is to be made	Minimum experience period for eligibility for post	Name of the Post to which promotion is to be made	Name of member's of Departmental Promotion Committee (See Rule 13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Labour Department	(i) Assistant Labour Officer (ii)Superintendent	5 years	Labour Officer	As per Chhattisgarh Labour Service (Gazetted) Recruitment Rule, 2011.
2.		Labour Inspector	---do---	Assistant Labour Officer	(i) Labour Commissioner-Chairman. (ii) Director, Industrial Health and Safety – Member. (iii) Deputy Labour Commissioner (Establishment) – Member. (iv) One Officer from S.C./S.T. (Class-I) - Member. (v) Deputy Labour Commissioner (Registrar) - Member.
3.		Assistant Superintendent	5 years	Superintendent	----do----
4.		Stenographer Grade-III	5 years	Stenographer Grade – II	----do----
5.		(i) Assistant Grade-I (ii) Labour Sub-Inspector (iii) Statistical Supervisor	5 years	Labour Inspector/ Assistant Superintendent	----do----
6.		(i) Assistant Grade-II (ii) Data Entry Operator	5 years	(i)Labour Sub-Inspector (ii) Assistant Grade-I (iii)Statistical Supervisor	----do----
7.		Steno-typist	5 years	Stenographer Grade-III	----do----
8.		Lab Assistant	8 years	Chemist	----do----
9.		Assistant Grade-III	5 years	Assistant Grade-II	----do----

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 2 जून 2011

क्रमांक 21/अ-82/2008-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	लिम्ही प. ह. नं. 17	0.17	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	पीपरहट्टा एनीकट निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 20 सितम्बर 2011

क्रमांक/5168/भू-अर्जन/कले./2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	कांकेर	गढ़पिछवाड़ी	21.62	पुलिस अधीक्षक, उत्तर बस्तर कांकेर.	जंगलवार कालेज के लिए.

कांकेर, दिनांक 20 सितम्बर 2011

क्रमांक/5202/भू-अर्जन/कले./2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	नरहरपुर	डोमपदर	0.48	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धमतरी कोड नं. 90.	लिटिपारा व्यपवर्तन आर.बी.सी. बंडपार एवं वियर निर्माण हेतु.

कांकेर, दिनांक 2 नवम्बर 2011

क्रमांक/5996/भू-अर्जन/कले./2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर-कांकेर	कांकेर	अलबेलापारा कांकेर	42.41	कार्यपालन अभियंता, छ.ग. गृह निर्माण मंडल, धमतरी.	विकास नगर योजना हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. खाखा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 अक्टूबर 2011

क्रमांक-क/भू-अर्जन/19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	झालरौंदा प.ह.नं. 03	0.081	कार्यपालन अभियन्ता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6, सक्ती.	झालरौंदा माइनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 अक्टूबर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 5/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	बिरहाभांठा	0.692	केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय, खरसिया.	अमलीपाली माइनर-2 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 9 नवम्बर 2011

क्रमांक 786/भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 49 अ/82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	खपरी	24/1	0.06	मुख्य कार्यपालन अधिकारी,	नया रायपुर के विकास
		प. ह. नं. 71/16	67/1	0.02	नया रायपुर डेव्हलपमेंट	कार्य (योजना क्षेत्र) हेतु.
			67/2	0.03	अथॉरिटी, रायपुर.	
			68	0.10		
			101	0.11		
			416/1	0.42		
		योग	6	**0.74**		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग-अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 9 नवम्बर 2011

क्रमांक 787/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 6/अ. 82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	उमरिया	308	0.19	मुख्य कार्यपालन अधिकारी,	नया रायपुर के विकास
		प. ह. नं. 67/22	309	0.07	नया रायपुर डेव्हलपमेंट	कार्य (योजना क्षेत्र) हेतु.
			310	0.06	अथॉरिटी, रायपुर.	

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			311	0.08		
			312	0.03		
			313	0.35		
			314	0.86		
			339	0.027		
			340	0.01		
			341	0.14		
			342	0.12		
			343	0.03		
			345/1	0.12		
			345/2	0.186		
			350/1	0.13		
			350/2	0.03		
			350/3	0.03		
			350/4	0.03		
			350/5	0.04		
			350/6	0.04		
			350/7	0.04		
			351/1	0.06		
			351/2	0.01		
			351/3	0.01		
			351/4	0.06		
			351/5	0.02		
			353/1	0.04		
			353/2	0.04		
			353/3	0.03		
			353/4	0.06		
			353/5	0.03		
			353/6	0.03		
			353/7	0.04		
			353/8	0.04		
			353/9	0.04		
			355/1	0.03		
			355/2	0.04		
			355/3	0.01		
			355/4	0.04		
			355/5	0.01		
			355/6	0.04		
			355/7	0.01		
			356/1	0.07		
			356/2	0.13		
			357/1	0.03		
			357/2	0.06		
			358/1	0.06		
			358/2	0.03		
			359/1	0.04		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			359/2	0.02		
			359/3	0.04		
			359/4	0.03		
			359/5	0.04		
			359/6	0.03		
			360/1	0.01		
			360/2	0.04		
			360/3	0.04		
			360/4	0.04		
			360/5	0.04		
			360/6	0.06		
			360/7	0.03		
			361/1	0.06		
			361/2	0.05		
			361/3	0.07		
			361/4	0.19		
			361/5	0.01		
			362/1	0.05		
			362/2	0.07		
			362/3	0.10		
			362/4	0.06		
			362/5	0.06		
			363/1	0.01		
			363/2	0.05		
			363/3	0.06		
			363/4	0.05		
			363/5	0.05		
			363/6	0.12		
			363/7	0.05		
			364/1	0.10		
			364/2	0.15		
			364/3	0.18		
			365/1	0.28		
			365/2	0.29		
			366/1	0.42		
			366/2	0.27		
			366/3	0.32		
			366/4	0.01		
			367/1	0.02		
			367/2	0.04		
			367/3	0.03		
			367/4	0.02		
			367/5	0.04		
			367/6	0.02		
			367/7	0.04		
			367/8	0.04		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			367/9	0.01		
			367/10	0.04		
			367/11	0.02		
			367/12	0.01		
			368/1	0.05		
			368/2	0.01		
			368/3	0.04		
			368/4	0.04		
			368/5	0.02		
			368/6	0.04		
			368/7	0.04		
			368/8	0.04		
			369/1	0.04		
			369/2	0.03		
			369/3	0.04		
			369/4	0.03		
			369/5	0.03		
			370/1	0.10		
			370/2	0.01		
			370/3	0.04		
			370/4	0.04		
			370/5	0.01		
			370/6	0.01		
			370/7	0.01		
			370/8	0.04		
			370/9	0.01		
			371/1	0.04		
			371/2	0.02		
			371/3	0.02		
			372/1	0.03		
			372/2	0.03		
			373/1	0.03		
			373/2	0.02		
			374/1	0.02		
			374/2	0.02		
			374/3	0.01		
			374/4	0.01		
			374/5	0.02		
			375/1	0.06		
			375/2	0.02		
			375/3	0.02		
			375/4	0.01		
			375/5	0.03		
			375/6	0.04		
			375/7	0.04		
			376/1	0.09		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			376/2	0.03		
			376/3	0.04		
			376/4	0.04		
			376/5	0.04		
			376/6	0.06		
			376/7	0.04		
			377/1	0.08		
			377/2	0.04		
			378/1	0.04		
			378/2	0.01		
			378/3	0.04		
			378/4	0.03		
			379/1	0.02		
			379/2	0.03		
			379/3	0.02		
			379/4	0.04		
			381/1	0.02		
			381/2	0.04		
			381/3	0.04		
			382/1	0.06		
			382/2	0.04		
			382/3	0.04		
			382/4	0.04		
			382/5	0.04		
			382/6	0.04		
			382/7	0.04		
			382/8	0.04		
			383/1	0.02		
			383/2	0.04		
			383/3	0.04		
			383/4	0.02		
			383/5	0.04		
			383/6	0.04		
			383/7	0.01		
			384/1	0.13		
			384/2	0.04		
			384/3	0.04		
			384/4	0.04		
			384/5	0.04		
			384/6	0.04		
			384/7	0.04		
			384/8	0.04		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			384/9	0.04		
			384/10	0.08		
			384/11	0.04		
			384/12	0.04		
			384/13	0.04		
			384/14	0.08		
			385	0.65		
			386	0.16		
			387	0.12		
		योग	**192**	**11.813**		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 21 सितम्बर 2011

रा. प्र. क्र./01/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	नवापाराकला	6.238	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-01, अम्बिकापुर.	नवानगर व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर एवं उप नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 12 अक्टूबर 2011

रा. प्र. क्र./02/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	पोंड़ीकला	1.935	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-01, अम्बिकापुर.	लैगू व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक़्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 12 अक्टूबर 2011

रा. प्र. क्र./03/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	नवापाराकला	0.520	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-01, अम्बिकापुर.	नवानगर व्यपवर्तन योजना के उप नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 12 अक्टूबर 2011

रा. प्र. क्र./04/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	नवानगर	0.461	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-01, अम्बिकापुर.	नवानगर व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 12 अक्टूबर 2011

रा. प्र. क्र./05/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	रकेली	2.096	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-01, अम्बिकापुर.	नवानगर व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 12 अक्टूबर 2011

रा. प्र. क्र./06/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	कल्याणपुर	1.378	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-01, अम्बिकापुर.	नवानगर व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 12 अक्टूबर 2011

रा. प्र. क्र./07/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	नवानगर	7.345	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-01, अम्बिकापुर.	नवानगर व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर एवं उप नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 12 अक्टूबर 2011

रा. प्र. क्र./08/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा (धौरपुर)	पसेना	8.339	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-01, अम्बिकापुर.	रीरी व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर एवं उप नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	अमलीटिकरा प. ह. नं. 02	1.578	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़ (छ.ग.)	**अम्बेटिकरा एनीकट योजना के डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.**

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

रायगढ़, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	पोड़ी	2.983	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	पोड़ी जलाशय अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 अक्टूबर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	पूरी प. ह. नं. 17	9.511	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	कोसमघाट जलाशय योजना के डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 अक्टूबर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	कुडुकेला प. ह. नं. 17	3.863	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	कोसमघाट जलाशय के एल.बी.सी. मुख्य नहर क्रमांक 0 से 30 तक नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 अक्टूबर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 3/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	कुडुमकेला प. ह. नं. 17	1.424	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	कोसमघाट जलाशय के आर.बी.सी. मुख्य नहर क्रमांक 0 से 30 तक नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 24 अक्टूबर 2011

क्रमांक क/भू-अर्जन/1/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-केशकाल
- (ग) नगर/ग्राम-धनोरा, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.213 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
299/19	1.213
योग	1.213

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-ग्राम धनोरा में पुलिस ग्राउण्ड एवं परेड ग्राउण्ड निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, केशकाल अथवा पुलिस अधीक्षक, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 अक्टूबर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-बिरहाभाठा, प. ह. नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.004 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
314/4, 315/4, 316/4, 317/4	0.289
314/8, 315/8, 316/8, 317/8	0.004
314/13, 315/13, 316/13, 317/13	0.041
314/9, 315/9, 316/9, 317/9	0.016
304, 305, 306	0.282
320/5	0.145
314/2, 315/2, 316/2, 317/2	0.045
314/5, 315/5, 316/5, 317/5	0.121
308	0.049
321	0.012
योग 10	1.004

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की मुख्य नहर से अमलीपाली वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 4 नवम्बर 2011

प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-बोड़ला
- (ग) नगर/ग्राम-महराजपुर, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.963 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	97	0.133
	98/2	0.587
	80/5	0.020
	80/6	0.223
योग	4	0.963

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मैनपुरी जलाशय के डुबान में अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 4 नवम्बर 2011

प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-बोड़ला
- (ग) नगर/ग्राम-दरिया, प. ह. नं. 46
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.583 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	10/1	0.320
	5/2	0.041
	18/1	0.081
	18/3	0.036
	18/2	0.202
	96/2	0.255
	96/3	0.243
	96/1	0.089
	40/2	0.028
	50/2	0.121
	46	0.085
	47	0.041
	48	0.041
योग	13	1.583

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-समनापुर जलाशय के नहर में अर्जित भूमि.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 4 नवम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-बांधाखार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.855 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	690	0.194
	703/1	0.186
	705/1	0.218
	731/1	0.125
	731/4	0.150
	731/5	0.125
	732/1	0.219
	732/4	0.526
	734/2	0.061
	734/3	0.109
	734/4	0.121
	734/5	0.121
	734/6	0.053
	734/7	0.109
	734/8	0.040
	734/9	0.263
	734/10	0.040
	734/11	0.263
	734/12	0.105
	734/13	0.129
	734/14	0.040
	737/7	0.405
	737/8	0.405
	737/10	0.405
	737/11	0.405
	737/12	1.213
	851/1	1.015
	861/4	0.405
	861/7	0.405
योग	29	7.855

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-विद्युत संयंत्र स्थापना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2011

क्रमांक 1384/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 38/अ. 82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-परसदा, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-29.68 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
13	0.25
14	0.47
15	0.22
16	0.08
17	0.12
18	0.19
21	1.41
22	0.43
23	0.29
24	1.13
25	0.87
26	0.14
27	0.25
28	0.22
29	1.05
30	0.19
31	0.19
33	0.04
34	0.03
35	0.03
36	0.20
37	0.33
38	0.79
39	0.11
40	0.17
41	0.23
42	0.09
43	0.23
45/1	0.20
45/2	0.21
45/3	0.03
102	0.60
104	0.29
121	0.40
122	0.81
126	0.42
129	0.13
133	2.01
136	0.49
140	0.08
141	0.06
142	0.10
265	0.09
266	0.26
267	0.32
287	0.31
288	0.30
289	0.27
292	0.39
295/1	0.38
295/2	0.37
298	0.48
299	0.89
301	0.16
305	0.09
306	0.09
307	0.09
312	0.05
313	0.14
315	0.47
318/2	0.10
319	0.40
322	0.08
324	0.20
325	0.12
326	0.13
328	0.12
329	0.31
330	0.23
331	0.01
332	0.03
337	0.07
339	0.21
340	0.06
349/1	0.36
349/2	0.10
393	0.21
400	1.00
401	1.01
403	3.57
404	0.63
योग 81	29.68

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर विकास एवं निर्माण योजनांतर्गत योजना क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2011

क्रमांक 1462/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 27/अ. 82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-बरौदा, प. ह. नं. 72/15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-92.93 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
36	0.60
37	0.36
38	0.77
47	7.46
95	2.03
96	0.49
97	0.21
98	0.03
101	0.72
102	0.92
133	0.15
137/1	0.24
137/2	0.40
139	0.12
140	0.10
141	0.20
142	0.16
143	0.22
144	0.22
146	0.45
147	0.36
148/1	0.46
149	0.09
150	0.71
151	0.29
152	0.65
154	0.15
155	0.15
156	0.15
157	0.15
165/1	0.16
165/2	0.34
167	0.22
168	0.18
170	0.37
172/2	0.17
175	0.04
177	0.25
178	1.23
179	0.47
251/1	0.08
255/1	0.57
273	0.13
276	0.14
277	0.14
278	0.16
279	0.27
284/1	0.01
285	0.01
286	0.07
291	0.14
293	0.27
301	0.12
319	0.10
345	0.59
350	0.29
352	0.74
354	0.08
355	0.12
356	0.04
357	1.23
363	0.14
364	0.07
365	0.10
366	4.44
370	0.14
371	0.46
372	0.21
373	0.12
374	0.12
375	1.90
376	0.03
388	0.97

(1)	(2)
390	0.18
393	0.24
395	0.06
396	0.13
397	0.05
398	0.55
399	0.13
400	0.38
402	0.59
403	0.63
405	0.24
406	0.26
408	0.10
409	0.94
410	0.13
411	0.43
412	0.07
416	0.36
417	0.08
419	0.39
429	0.14
430	0.22
431	0.16
432	0.10
434	0.27
436	0.22
437	0.70
438	0.04
439	0.02
440	0.14
441	0.49
442	0.40
444	0.73
683	0.10
684	0.05
685	0.08
686	0.08
770	0.40
780	0.52
1186	0.18
1208	0.80
1211	0.16
1212	0.16
1213	0.16
1215	0.15
1216	0.18
1217	0.14
1219	0.38
1220	0.09
1222	0.42
1223	0.45
1225	0.37
1227	0.17
1228	0.24
1229	0.15
1232	0.10
1239	0.05
1243	0.11
1244	0.11
1245	0.13
1247	0.22
1248	0.14
1250	1.36
1251	0.35
1257	0.38
1259	4.37
1260	3.05
1262	0.14
1265	0.28
1266	0.98
1267	0.16
1268	0.34
1271	0.13
1273	0.23
1274	0.55
1275	0.79
1276	0.94
1277	1.79
1278	1.01
1279	2.33
1280	1.35
1281	0.36
1282	4.02
1283/1	2.00
1283/2	2.00
1283/3	4.34
1287	5.58
1313	1.74
1314	0.06
योग 162	92.93

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नई राजधानी योजनांतर्गत नया रायपुर में एयरपोर्ट के निर्माण एवं विकास कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2011

क्रमांक 1463/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 36/अ. 82/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-आरंग

(ग) नगर/ग्राम-रमचण्डी, प. ह. नं. 72/15

(घ) लगभग क्षेत्रफल-18.825 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
454/1	0.030
454/2	0.030
689/1	0.220
689/2	0.320
295/21	0.089
295/22	0.202
295/27	0.390
322	0.278
323/2	0.012
324	0.049
328	0.138
329	0.032
330	0.020
331	0.040
332	0.049
333	0.020
334	0.049
335	0.040
336	0.020
337/1	0.041
338	0.024
339/1	0.032
361/2	0.049
364	0.020
366	0.073
372	0.016
373	0.045
375	0.024
376	0.056
377	0.049
378	0.085
379/3	0.382
379/6	0.397
326/3	0.452
321	0.405
355/3	0.121
686/1	0.449
295/23	0.409
687/1	0.133
337/2	0.016
339/2	0.016
339/3	0.033
340	0.049
341	0.033
342	0.020
343	0.040
344	0.186
345	0.032
346	0.041
347	0.057
348	0.032
349/1	0.057
360	0.032
361/1	0.202
686/3	0.454
686/4	0.454
323/1	0.016
360/928	0.020
362	0.061
363	0.036
365	0.049
369	0.021
370	0.016
374	0.014
379/1	0.060
379/2	0.050
379/5	0.320
349/2	0.057
351/1	0.016
352/1	0.024
353/1	0.020

(1)	(2)
354/1	0.089
355/1	0.136
367	0.008
368	0.053
687/2	0.405
688/1	0.251
326/1	0.452
295/20	0.030
295/26	1.008
306	0.010
307	2.416
295/24	1.448
350	0.065
351/2	0.016
352/2	0.008
353/2	0.020
354/2	0.073
357	0.040
358	0.020
359	0.028
379/4	0.050
383/1	1.011
383/2	1.011
325	0.142
327	0.547
326/2	0.452
295/25	1.172
690/2	0.004
356	0.024
371	0.012
योग 95	18.825

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नई राजधानी योजनांतर्गत एयरपोर्ट विस्तार एवं निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2011

क्रमांक 1464/क्र./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 35/अ. 82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-अभनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-केन्द्री, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.500 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	746	0.500
योग	1	0.500

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर विकास एवं निर्माण योजनांतर्गत आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2011

क्रमांक 1477/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 19/अ. 82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-आरंग

(ग) नगर/ग्राम-छतौना, प. ह. नं. 74/13

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.13 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	433	0.07
	435	0.06
योग	2	0.13

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर के विकास एवं योजना अन्तर्गत रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 8 सितम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 41/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-पुसौर

(ग) नगर/ग्राम-बुनगा, प. ह. नं. 40

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.673 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
345/1	0.085
318/2	0.008
345/2	0.008
346/1	0.008
347/1	0.097
319/1	0.069
485	0.089
350/3	0.024
257/3	0.057
350/2	0.028
350/1	0.004
350/4	0.045
342/2	0.012
340	0.028
330/1	0.049
341	0.020
328/2	0.032
335	0.065
328/1	0.024
333/2	0.032
329	0.016
330/2	0.049
322/4 क	0.004
322/4 ख	0.012
321	0.202
317/1	0.008
318/3	0.105
319/2	0.041
300	0.354
274/7	0.101
298/2	0.085
298/1	0.004
297/3	0.097
253	0.073
297/2	0.012

(1)	(2)
251	0.041
295/1	0.089
295/5	0.085
245/2	0.032
274/6	0.049
275/1	0.004
272/2	0.057
269/2	0.045
269/4	0.004
269/1	0.125
257/1	0.053
257/2	0.061
257/4	0.049
255/1	0.016
255/3	0.016
252	0.145
536	0.045
247/1	0.020
247/2	0.004
248/1	0.024
248/2	0.036
246/1	0.024
245/1	0.016
427/1	0.041
486	0.008
488/1	0.028
488/2	0.016
489	0.045
496/3	0.041
496/2	0.069
495	0.008
503/2	0.028
504	0.032
505	0.020
502/2	0.004
516	0.073
507/2	0.036
519	0.016
514	0.032
535	0.189
योग 75	3.673

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की बुनगा माइनर-1 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 8 सितम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 42/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-लोहरसिंह, प. ह. नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.444 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
988/1	0.109
992	0.060
993	0.016
997/1	0.022
1004/1	0.115
1005	0.226
1011, 1012	0.230
999/1	0.096
994/1	0.085
994/2	0.081
994/3	0.085
994/4	0.040
995/3	0.080
995/1	0.075
995/2	0.070
998	0.067
999/2	0.043
1101/2	0.060
1102/4	0.080
1103/3	0.144
1102/7	0.162
1102/2	0.135
1103/2	0.135

(1)	(2)
1102/3	0.228
योग 25	2.444

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की मुख्य नहर से छींच माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 8 सितम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 44/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-गोतमा, प. ह. नं. 37
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.244 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
138	0.173
139/1	0.016
139/2	0.016
147/1	0.121
320/3	0.032
148	0.097
164/2	0.101
174	0.056
260	0.048
170/1	0.076
240/2	0.004
244/6	0.024
246/1	0.048
272/5	0.057
273	0.040
165	0.052
169/2	0.069
172	0.101
245/1	0.004
164/1	0.008
168	0.016
175	0.016
178/1	0.016
178/2	0.052
179/2	0.008
180	0.101
181/1	0.016
261	0.028
181/3	0.064
184/2	0.101
272/3	0.045
184/3	0.141
184/1	0.020
242	0.141
272/4	0.052
243/4	0.101
247	0.052
248/2	0.057
244/1	0.081
298/2	0.016
245/2	0.057
244/4	0.016
251/2	0.061
257/3	0.008
262	0.016
271/4	0.036
274	0.044
285/1	0.081
285/4	0.081
286	0.052
289	0.040
287	0.028
294	0.024
312	0.012
313/3	0.061
314/3	0.097
319/3	0.073

	(1)	(2)
	147/2	0.081
	314/5	0.109
योग	59	3.244

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की ठाकुरपाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 8 सितम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 45/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-रायगढ़
   (ख) तहसील-पुसौर
   (ग) नगर/ग्राम-ठाकुरपाली, प. ह. नं. 41
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.437 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	82/1	0.073
	82/2	0.089
	123/1	0.081
	123/7	0.018
	123/8	0.045
	126/3	0.024
	123/2	0.045
	121	0.004
	125	0.018
	124/2	0.022
	126/1	0.018
योग	11	0.437

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की टिनमिनी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 8 सितम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 46/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-रायगढ़
   (ख) तहसील-पुसौर
   (ग) नगर/ग्राम-छिछौर उमरिया, प. ह. नं. 41
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.908 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1552/1	0.036
1553	0.028
1552/2	0.036
1554/1	0.004
1980/4	0.101
1982	0.072
1554/4	0.008
1557/1	0.065
1557/5	0.020
1557/7	0.012
1557/6	0.048
1557/2	0.024

(1)	(2)
1631/2	0.135
1557/3	0.032
1557/4	0.024
1557/8	0.137
1561/1	0.032
1560	0.032
1561/3	0.033
1581/1	0.024
1616/2	0.032
1583	0.024
1616/3	0.033
1586/2	0.032
1586/3	0.032
1587/1	0.033
1587/2	0.024
1587/3	0.037
1587/4	0.032
1617/3	0.064
1588	0.008
1590/1	0.036
1590/2	0.036
1592/2	0.032
1629/1	0.036
1592/3	0.004
1617/2	0.016
1625/2	0.016
1626	0.069
1630	0.036
1631/1	0.112
1631/3	0.108
1648/2	0.057
1983/3	0.004
1561/2	0.032
1581/2	0.020
1582/2	0.016
1582/1	0.012
1591	0.012
योग 49	1.908

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की परसापाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 8 सितम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 47/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-केसापाली, प. ह. नं. 41
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.269 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
52/1	0.012
52/2	0.089
52/3	0.077
52/4	0.016
62/4	0.049
65	0.121
53/3, 54	0.032
55/3	0.061
55/5	0.024
55/1	0.025
88/2	0.004
55/2	0.113
55/4	0.129
63/2	0.097
63/2	0.081
64/10	0.018
66/1	0.073
66/2	0.073
66/3	0.045
67/1	0.065

	(1)	(2)
	67/2	0.065
योग	22	1.269

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की छिछौर उमरिया वितरक नहर से केलापाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 8 सितम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 48/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-अमलीपाली, प. ह. नं. 39
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.613 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	137	0.077
	138/4	0.004
	138/6	0.016
	152/2	0.202
	152/3	0.020
	138/2	0.028
	140/1	0.073
	141	0.016
	110/1	0.117
	140/4	0.048
	140/2	0.016
	140/3	0.077
	143/1	0.008
	100	0.008
	101	0.008
	102/1	0.057
	149/4	0.221
	152/1 ड़	0.049
	108/2	0.073
	109/2	0.008
	110/3	0.121
	138/9	0.053
	106/1	0.073
	106/2	0.049
	106/5	0.004
	138/7	0.053
	103	0.053
	102/2	0.065
	138/8	0.004
	106/4	0.012
योग	30	1.613

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की अमलीपाली वितरक नहर से अमलीपाली माइनर-2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 8 सितम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 49/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-बादीमाल, प. ह. नं. 29
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.304 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
308	0.061
213	0.041
212/1	0.053
211/4	0.004
212/2	0.072
211/1	0.053
211/2	0.012
211/3	0.008
योग 8	0.304

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की अमलीपाली वितरक नहर से बादीमाल माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 8 सितम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 50/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-सेमीभांवर, प. ह. नं. 28
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.486 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
100/2	0.270
101/1	0.314
105/1	0.149
184/7	0.016
184/6	0.041
105/3	0.016
184/2	0.057
184/5	0.053
171/1	0.061
170/1	0.012
103/2	0.081
171/2	0.008
104/1	0.069
184/1	0.129
105/4	0.101
171/3	0.024
172/4	0.045
103/4	0.016
184/4	0.008
103/1	0.008
171/4	0.008
योग 21	1.486

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की अमलीपाली वितरक नहर से सेमीभांवर माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 अक्टूबर 2011

संशोधन

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-बिंजकोट
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-144.411 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)
(1)	(2)
120	0.198
252/4	0.720
194/7	0.194
194/9	0.049
194/12	0.243
519	0.347
520	0.089
449	0.097
485	0.117
474/1	0.203
509/1	0.198
517/8	0.325
182/1	0.231
166/2	0.356
435/6	0.227
360/3	0.040
439	0.490
488	0.170
172/6	0.049
517/16	0.032
517/19	0.077
523/2	0.069
511/2	0.089
492/5	0.279
356/1	0.162
443/3	0.162
450/2	0.069
450/6	0.073
481/3	0.036
483/1	0.040
489/1	0.061
138/1 क	0.080
36	0.008
360/2	0.020
252/1	0.721
153/1	0.096
175	0.097
176	0.016
477/2	0.340
477/3	0.276
249/1	0.227
368	0.405
484/1 क	0.162
436/3	0.069
(1)	(2)
194/1	0.198
194/10	0.081
194/16	0.360
382/2	0.364
128/2	0.045
128/3	0.046
383/4	0.053
383/5	0.063
383/6	0.149
437/5	0.121
437/6	0.042
437/7	0.162
503/2	0.127
252/3	0.720
56/1	0.040
136	0.202
247/1	0.036
152/2	0.218
354/1 क	0.053
354/2	0.445
369/4	0.020
369/12	0.088
22	0.154
356/2	0.141
450/1	0.020
450/4	0.024
450/7	0.090
481/1	0.037
483/2	0.020
435/5	0.194
360/1	0.040
254	0.470
148	0.202
517/17	0.012
517/20	0.081
511/3	0.065
523/3	0.057
172/7	0.049
353/3	0.057
515/2	0.307
153/3	0.049
191/5	0.041
281/4	0.160
281/7	0.112
281/11	0.101
281/14	0.197

(1)	(2)	(1)	(2)
379/3	0.049	443/1 ख	0.053
246	0.012	450/3	0.020
492/2	1.097	450/5	0.024
23/2	0.461	450/8	0.081
252/2/1	0.101	483/3	0.020
252/2/3	0.506	170/2	0.243
118/3	0.056	42/1	0.474
194/2	0.526	494	0.154
245/2	0.385	527	0.150
35/3	0.478	534	0.506
29/2	0.373	100	0.210
30	0.202	42/2	0.089
54/3	0.036	170/1	0.239
366	0.397	350	0.401
355	0.113	353/1	0.235
364	0.202	447	0.243
482	0.146	204	0.049
360/4	0.040	436/2	0.202
31	0.405	123/7	0.223
114	0.559	435/4	0.210
115/2	0.243	38/2	0.083
117/2	0.162	158/2	0.298
117/6	0.132	138/2	0.146
435/2	0.073	487/2	0.291
35/4	0.142	41	0.227
143	0.259	34/1	0.125
443/2	0.142	243/1	0.055
481/2	0.040	383/1	0.057
484/1 ख	0.219	383/2	0.069
191/4	0.041	437/1	0.197
281/3	0.149	437/2	0.174
281/6	0.116	184/1	0.063
281/10	0.093	128/1	0.069
281/15	0.209	25	0.333
37/1	0.383	32	0.296
55	0.121	34/2	0.065
245/1	0.162	50	0.105
194/6	0.219	243/2	0.093
194/13	0.020	351/1	0.081
194/11	0.324	383/3	0.050
118/1	0.049	437/3	0.053
194/5	0.125	437/4	0.042
194/8	0.073	515/1	0.053
194/14	0.061	353/2	0.040
194/15	0.202	503/1	0.097
56/2	0.040	109	0.300
356/3	0.061	51	0.065

(1)	(2)	(1)	(2)
247/2	0.041	500/13	0.150
443/1 क	0.056	507/3	0.020
510	0.162	513	0.040
379/1	0.036	517/1	0.064
123/5	0.243	517/3	0.202
37/2	0.192	517/9	0.100
155	0.235	517/13	0.047
168	0.324	517/15	0.080
172/4	0.080	524/1	0.085
359	0.547	369/9	0.020
23/1	0.461	141	0.809
252/2/2	0.607	163	0.340
54/5	0.036	165	0.105
249/2	0.405	504	0.393
435/2	0.352	516	0.405
49	0.113	518	0.061
166/5	0.036	522	0.425
166/6	0.105	525	0.445
382/1	0.437	370	0.466
153/2	0.064	98	0.381
153/4	0.160	146	0.352
191/1	0.040	133	0.413
281/2	0.032	154	0.405
281/5	0.392	203	0.490
281/8	0.104	278	0.506
281/12	0.049	358	1.291
379/2	0.036	378	0.393
171	0.575	444	0.401
29/3	0.567	495	3.015
191/3	0.040	498/2	0.194
29/1	0.243	499	0.421
436/4	0.173	501	0.316
360/5	0.040	533	0.474
26	0.166	535	0.190
35/5	0.328	21	0.567
162/1	0.031	99	0.421
173/1	0.085	205	0.364
369/1	0.053	380	0.308
369/6	0.020	526	0.405
369/10	0.120	40	0.514
373/1	0.081	134	0.506
475/1	0.081	145	0.320
500/5	0.559	151	0.292
500/6	0.128	202	0.632
500/8	0.078	375	0.352
500/10	0.121	381	0.283

(1)	(2)	(1)	(2)
442	0.409	185/4	0.251
490	1.801	191/2	0.202
521	0.093	111	0.713
27	0.878	193	0.364
531	0.388	362	0.437
118/2	0.053	530	0.283
194/4	0.486	131	0.061
28	0.959	54/2	0.077
123/6	0.182	478	1.226
139	1.420	35/1	2.574
132	0.061	497	0.883
169	0.340	38/1	0.083
502	0.340	147/1	0.364
24/1	0.364	158/1	0.297
24/4	0.182	172/1 ख	0.075
39/1	0.405	172/2	0.162
44/1	0.081	172/5	0.049
44/4	0.101	369/8 ख	0.035
44/7	0.101	484/2	0.259
45/5	0.190	500/2	0.243
46/1	0.049	517/6	0.072
46/3	0.053	517/18	0.081
46/5	0.032	369/14	0.057
47/2	0.040	156/1	1.004
101/2	0.020	276	4.517
101/3	0.073	438	0.227
102/2	0.061	445	0.142
103/1	0.081	480	0.611
103/3	0.016	128/4	0.191
105/1	0.060	184/2	0.062
106/1	0.041	351/2	0.166
110	0.227	383/7	0.534
115/1	0.113	437/8	0.597
117/1	0.111	503/3	0.298
125/1	0.223	243/3	0.192
125/4	0.243	123/1	0.501
125/6	0.121	124	0.073
137/1	0.243	435/1	0.348
137/3	0.283	24/2	0.538
138/3	0.170	44/2	0.242
144/2	0.182	44/5	0.162
144/3	0.186	45/2	0.190
147/3	0.081	45/4	0.190
147/4	0.158	46/2	0.040
150/1	0.125	46/4	0.393
167/1	0.077	47/1	0.040
185/1	0.267	54/1	0.057

(1)	(2)	(1)	(2)
101/1	0.077	130	0.292
101/4	0.057	244	1.076
102/1	0.056	251	0.061
103/2	0.089	256	4.650
103/4	0.016	264	0.607
103/5	0.012	277	0.166
105/2	0.061	298	6.475
106/2	0.202	24/3	0.012
116/1	0.024	164	0.364
117/4	0.089	35/2	0.619
123/2	0.040	39/2	0.405
125/2	0.121	44/3	0.465
125/5	0.182	44/6	0.344
127/1	0.077	45/1	0.129
127/2	0.142	45/3	0.380
137/2	0.101	45/6	0.194
137/4	0.182	104	0.239
138/4	0.170	107	0.466
144/1	0.182	108	0.121
144/4	0.093	115/3	0.304
147/2	0.158	115/4	0.212
147/5	0.081	115/5	0.057
150/2	0.135	116/2	0.150
167/2	0.219	117/3	0.024
182/2	0.194	117/5	0.243
185/2	0.020	119	0.182
185/5	0.142	123/3	0.121
436/1	0.476	123/4	0.135
491/2	0.243	125/3	0.202
492/3	0.433	185/3	0.745
142	0.040	185/6	0.320
157	0.190	185/7	0.182
160	0.113	369/2	0.101
161	0.146	500/3	0.725
363	0.421	500/4	0.194
371	0.077	509/2	0.077
372	0.227	512	0.243
476	0.134	172/3	0.109
486	1.392	48	0.024
505	0.040	367	0.267
152/1	0.470	492/1	0.162
192	0.567	43	0.526
357	0.210	140	0.587
446	0.628	374	0.332
248	1.182	491/1	1.650
275	0.611	492/4	0.376

(1)	(2)
365/2	0.045
484/1 ग	0.115
190	0.356
361	0.231
365/1	0.064
431/1 क	0.021
448	0.417
477/1	0.748
487/1	0.033
529	0.332
126	0.198
135	0.417
174	0.170
532	1.153
252/5	0.526
252/6	1.497
33	0.243
179	0.235
506	0.705
536	0.821
537	0.991
54/4	0.077
54/6	0.057
112	0.591
149	0.405
166/1	0.081
166/3	0.036
166/4	0.024
162/2	0.030
173/2	0.085
369/3	0.107
369/11	0.020
369/13	0.088
373/2	0.081
474/2	0.101
475/2	0.081
500/7	0.128
500/9	0.072
500/11	0.081
500/14	0.209
507/2	0.061
508	0.405
514/1	0.028
514/3	0.073
517/2	0.129
517/4	0.170
517/5	0.064
517/7	0.032
517/10	0.032
517/14	0.112
524/2	0.085
369/7	0.020
156/2	0.189
156/3	0.061
138/1 ख	0.041
450/9	0.090
498/1	3.172
172/1 क	0.075
281/1	0.185
281/9	0.121
281/13	0.036
281/16	0.238
369/8 क	0.036
517/12	0.081
523/1	0.057
योग 527	144.411

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ को (औद्योगिक प्रयोजनार्थ) हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर, दिनांक 21 जून 2011

क्र. 876/खनि/2011.—छ.ग. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम-12 के तहत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला-बिलासपुर (छ.ग.) में नीचे दी गई तालिका में वर्णित क्षेत्र का इस विज्ञप्ति में छ.ग. राजपत्र में प्रकाशित होने के तीस दिवस के पश्चात् खनिज रियायत हेतु क्षेत्र उपलब्ध होंगे.

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम (3)	ख. नं. (4)	रकबा (5)	खनिज (6)	भूमि का प्रकार (7)
बिलासपुर	मस्तूरी	मोहतरा	240/1	1.00 ए.	चूनापत्थर	शासकीय भूमि

राम सिंह,
कलेक्टर.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, राजनांदगांव (छ.ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 20 सितम्बर 2011

क्रमांक 1594/न.ग्रा.नि./वि.यो. डोंगरगांव/11.—छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है, कि संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट डोंगरगांव निवेश क्षेत्र में की भूमि का वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र अनुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किए जाते हैं, इस सूचना की प्रतिलिपि अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का निश्चायक् साक्ष्य होगा कि मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

डोंगरगांव निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में - ग्राम जामसरारकला, बरगांव, साल्हे, बगदई, आरी एवं भटगुना ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में - ग्राम भटगुना, बगमार, खुज्जी, करेठी एवं बड़भूम ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में - ग्राम बड़भूम, दर्री, बेदंरकट्टा, कोहका एवं मोहड़ ग्रामों की दक्षिण सीमा तक.

पश्चिम में - ग्राम मोहड़, माथलडबरी, रेंगाकठेरा एवं जामसरारकला ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन को छोड़कर खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय, नगर पंचायत डोंगरगांव.

बी. के. तिवारी,
सहायक संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 12th October 2011

No. 34 (Mis)/I-7-3/2012 (Pt.-I).—The High Court of Chhattisgarh is pleased to declare that the following days are the Vacations, Holidays of the High Court of Chhattisgarh for the Year 2012 :—

Summer Vacation :- Monday 14th May to Friday 08th June, 2012

Winter Holidays :- Monday 17th December to Monday 31st December, 2012

S. No. (1)	Name of Holiday (2)	No. of days (3)	Dates as per Gregorian Calendar (4)	Days of the week (5)
1.	Republic Day	1	26-01-2012	Thursday
2.	Mahashivratri	1	20-02-2012	Monday
3.	Holi Holidays	2	08-03-2012 to 09-03-2012	Thursday to Friday
4.	Mahavir Jayanti	1	05-04-2012	Thursday
5.	Good Friday	1	06-04-2012	Friday
6.	Raksha Bandhan	1	02-08-2012	Thursday
7.	Janamashtami	1	10-08-2012	Friday
8.	Independence Day	1	15-08-2012	Wednesday
9.	Id-Ul-Fitr	1	20-08-2012	Monday
10.	Gandhi Jayanti	1	02-10-2012	Tuesday
11.	Dashera Holidays	5	22-10-2012 to 26-10-2012	Monday to Friday
12.	Id-Ul-Zuha (Bakrid)	1	27-10-2012	Saturday
13.	Deepawali Holidays	5	12-11-2012 to 16-11-2012	Monday to Friday
14.	Gurunanak Jayanti	1	28-11-2012	Wednesday
15.	Christmas	1	25-12-2012	Tuesday

Notes :—

1. All the Sundays are declared holidays for the High Court and Registry including the Sundays falling during Summer Vacation.

2. Second & Third Saturdays of the month shall be closed saturdays for the High Court and Registry.

3. The Saturdays falling on 25th August, 2012 and 01st December, 2012 shall be working days for the High Court.

4. The remaining Saturdays, which are not declared holidays and which are not included in Summer Vacation are declared non working Saturdays for the High Court but Registry shall remain open on these Saturdays.

5. New Year Day, Id-Milad-Un-Nabi & Muharram fall on Sunday, and Ambedkar Jayanti, fall on closed Saturday, therefore no Holiday is declared separately.

6. The High Court shall remain closed from 14-05-2012 to 08-06-2012 on account of Summer Vacation but the Registry shall remain open during Summer Vacation.

7. The High Court shall remain closed from 17-12-2012 to 31-12-2012 on account of Winter Holidays but the Registry shall remain open during Winter Holidays.

8. Holidays declared on account of Id-Ul-Fitr, Id-Ul-Zuha and Muharram are subject to change depending upon the visibility of the Moon. If the State Government declares any change in these dates through TV/AIR/ Newspaper, the same will be followed.

9. The officers and employees of the High Court Establishment shall be entitled to avail of three optional holidays in the year, out of the list of optional holidays as may be declared by the State Government for the year 2012.

Bilaspur, the 20th October 2011

No. 402/L.G./2011/II-3-33/2007.—Shri Balindar Singh Saluja, Additional Registrar (Admn.), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 04 days from 29-10-2011 to 01-11-2011 and permission to prefix holidays from 23rd to 28th October, 2011 (Deepawali holdidays) along with permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Saluja, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 270+11days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
ARVIND SHRIVASTAVA, Registrar General.

क.